



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, December 4, 2023 / Agrahayana 13, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 4, 2023 / Agrahayana 13, 1945 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
OBITUARY REFERENCES	1 – 2
...	3 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 01 – 20)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 01 – 230)	51 – 280

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 4, 2023 / Agrahayana 13, 1945 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 88
STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 246 th to 248 th Reports	288
BILL INTRODUCED Central Universities (Amendment) Bill	289
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	290 – 310
MATTERS UNDER RULE 377	311 - 24
Shri Raju Bista	311
Shri S. Muniswamy	312
Shri Arun Kumar Sagar	313
Shri Vishnu Dayal Ram	313
Dr. Unmesh G. Jadhav	314
Shri Ashok Kumar Rawat	314
Shri Gopal Jee Thakur	315
Shri Gajendra Umrao Singh Patel	315
Shri Ashok Mahadeorao Nete	315
Shrimati Raksha Nikhil Khadse	316
Dr. Nishikant Dubey	316
Dr. Shashi Tharoor	317

Shri Kodikunnil Suresh	317
Adv. Dean Kuriakose	318
Prof. Sougata Ray	318
Shri Bellana Chandra Sekhar	319
Shri Shrirang Appa Barne	319
Shri Sunil Kumar Pintu	320
Shri Bhartruhari Mahtab	320
Shri Shrinivas Dadasaheb Patil	321
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	322
Shri Ritesh Pandey	322
Shri Jagadambika Pal	323
Shri Naranbhai Kachhadiya	323
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	324
Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	324
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL	325 - 83
Motion for Consideration	325
Shri Arjun Ram Meghwal	325 - 26
Shri Karti P. Chidambaram	327 - 28
Shri Jagdambika Pal	329 - 34
Shri A. Raja	335 - 37
Shri Kalyan Banerjee	338 - 41
Shri N. Reddeppa	342 - 43
Shri Bhartruhari Mahtab	344 - 46
Shrimati Supriya Sadanand Sule	347 - 49
Shri Kodikunnil Suresh	350 - 51
Shri P. P. Chaudhary	352 - 53

Shri Malook Nagar	354 - 55
Shri Hasnain Masoodi	356 - 57
Shri E. T. Mohammed Basheer	358 - 59
Shri Janardan Singh Sigriwal	360 - 61
Dr. Sanjeev Kumar Singari	362 - 64
Shri N.K. Premachandran	365 - 68
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	369 - 70
Shri Syed Imtiaz Jaleel	371 - 72
Shri Giridhari Yadav	373 - 74
Shrimati Aparupa Poddar	375
Shrimati Navneet Ravi Rana	376
Shri Santosh Pandey	377 - 78
Shri Arjun Ram Meghwal	379 - 81
Motion for Consideration – Adopted	382
Consideration of Clauses	382
Motion to Pass	383

(1100/KDS/RP)

(लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई)

...

निधन संबंधी उल्लेख

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुःख के साथ, मैं सभा को हमारे छह पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं।

श्री ताराचन्द्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व, वे मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

श्री ताराचन्द्र शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर, 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगौन, मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर, 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा, बिहार में हुआ।

श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कीं।

श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री प्रभात सिन्ह प्रताप सिन्ह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने गुजरात सरकार में उप मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं तथा वे पाँच कार्यकाल तक गुजरात विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री प्रभात सिन्ह प्रताप सिन्ह चौहान का निधन 26 अक्टूबर, 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल, गुजरात में हुआ।

श्री डी. बी. चंद्र गौड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिक-मंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पाँचवीं और छठी लोक सभा तथा बंगलौर- उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री चंद्र गौड़ा राज्य सभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्र गौड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री चंद्र गौड़ा ने कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे तीन कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्र गौड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधान सभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता, प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री डी. बी. चंद्र गौड़ा का निधन 7 नवंबर, 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिक-मंगलूर, कर्नाटक में हुआ।

(1105/MK/NKL)

श्री बसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं एवं पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका समिति तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं एवं 15वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे।

श्री बसुदेव आचार्य का निधन 13 नवम्बर, 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ।

हम अपने छह पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति: ।

प्रश्नकाल ।

(pp.3-30)

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, इस सदन को गुमराह किया गया है। ... (व्यवधान) इस देश में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, श्री दानिश अली जी प्लेकार्ड के साथ आए हैं। यह गलत है। ये प्लेकार्ड तुरंत निकाल दें। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य: एक मिनट।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, इस सदन को शर्मसार किया गया है। ... (व्यवधान) यह मेरा अपमान नहीं है, यह पूरे सदन का अपमान है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि संसद के इस भवन के अंदर प्लेकार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत, जो संसद में नियम बनाए गए हैं, उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि सदन से बाहर चले जाएं। मैं सदन से यह अपेक्षा करता हूँ कि हम नये सदन में शुरूआत कर रहे हैं, तो हम एक नये अनुभव से शुरूआत करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आपको आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ, इधर के सदस्यों से भी और उधर के सदस्यों से भी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, सदन में प्लेकार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो क्या सदन नहीं चलेगा? यह तय है कि इस नये भवन के अंदर प्लेकार्ड नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1208 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/SJN/MMN)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

1200 बजे

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 3, श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.668(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.670(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.85(अ) और 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.86 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.674(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.476(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.703(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पाँच) सा.का.नि.727(अ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (छह) सा.का.नि.738(अ) जो दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (सात) सा.का.नि.758(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (आठ) सा.का.नि.804(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.617(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (नौ) सा.का.नि.805(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि.711(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दो) सा.का.नि.759(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (तीन) सा.का.नि.762 (अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (चार) सा.का.नि.765(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (पाँच) सा.का.नि.768(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.694(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (छह) सा.का.नि.771(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (सात) सा.का.नि.774(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (आठ) सा.का.नि.777 (अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.674(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (नौ) सा.का.नि.780(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.676(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दस) सा.का.नि.783(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.677(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि. 689(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दो) सा.का.नि. 690(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (तीन) सा.का.नि. 691(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (चार) सा.का.नि. 712(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (पाँच) सा.का.नि. 760(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (छह) सा.का.नि. 763(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (सात) सा.का.नि. 766(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (आठ) सा.का.नि. 769(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 687 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (नौ) सा.का.नि. 772(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दस) सा.का.नि. 775(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 778(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (बारह) सा.का.नि. 781(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (तेरह) सा.का.नि. 784(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 670 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (4) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :
- (एक) सा.का.नि. 713(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दो) सा.का.नि. 761(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तीन) सा.का.नि. 764(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 703 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (चार) सा.का.नि. 767(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (पाँच) सा.का.नि. 770(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (छह) सा.का.नि. 773(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 708 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सात) सा.का.नि. 776(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (आठ) सा.का.नि. 779(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.782(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.785(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.714 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ) जो 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पीआर में उद्भूत वहां से निर्यातित "70 ली काउंट से नीचे वाले फ्लैक्स यार्न" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि. 672 (अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 673(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 700(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना

संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (चार) सा.का.नि. 701 (अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (पांच) सा.का.नि. 747(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (छह) सा.का.नि. 748(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सात) सा.का.नि. 810(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (आठ) सा.का.नि. 811(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/143 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एनएसयू/डीआर/अध्यादेशों का प्रकाशन/2023 जो दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के, उसमें उल्लिखित अध्यादेश अधिसूचित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 6, डॉ. निशिकांत दुबे जी।

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

246वां से 248वां प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन¹ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' के बारे में 246वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' के बारे में 247वां प्रतिवेदन।
- (3) 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' के बारे में 248वां प्रतिवेदन।

¹ ये प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 10 नवम्बर, 2023 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, प्रस्तुत किए गए थे और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किए गए। माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन के आदेश दिए गए।

... (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, what about Item No.5?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, what about Item No.5?

... (Interruptions)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

1203 बजे

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1204 बजे

माननीय सभापति : श्री वी. वैथिलिंगम – उपस्थित नहीं।

श्री चंद्र शेखर साहू जी।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, food is one of the basic necessities for sustenance of life. Pure, fresh, and healthy diet is most essential for the health of the people. Adulteration of food items is so rampant, widespread, and persistent that the existing mechanism has been found not enough for making a drastic remedy. Adulteration of food and food items is still a major issue that many come across in the country. It may not be visible to the naked eye but the longstanding effects of such adulteration may impact one's health and wellbeing. The existing mechanism has so far not been able to make any drastic change to stop total food adulteration. The existing law enforcement agencies whether of the Union Government or the State Governments do not have enough manpower mechanism and funds to check and stop adulteration of food and food items.

(1205/VR/SPS)

Sir, we have also seen the results, outcome and achievements of FSSAI in stopping the adulteration in food and food items so far in the country. Now, the time has come for each and every citizen of the country to participate to come up against food adulteration. The Government should launch a movement like it did for clean India, that is, Swachh Bharat Abhiyan, and provide sufficient funds to the States for the success to this movement against food adulteration. Thank you.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Sir, I would like to draw the attention of this Government through this august House to certain difficulties faced by the people in connection with the ongoing development work of National Highway no.66, especially in my constituency.

Sir, the development work is laudable. It is very essential. People have welcomed it and have always cooperated in all manners possible. But they have certain difficulties and grievances with regard to the work that is going on. For example, the intersection of Areekode Parappanangadi State highway with NH-

* Pl. see p. 310 for the list of Members who have associated

66 at Kolappuram junction in my constituency is inadequately designed, necessitating an additional travel of five kilometers to various locations. A proper design of this intersection is urgently required. Both the junctions at Thazhe Chelari road leading to Parappanangadi and the junction at Mele Chelari leading to Mathappuzha lack sufficient space and the conjunction in the junctions causes uncontrolled traffic block.

Sir, longstanding demands from the public for flyovers or underpasses at Irumbu Cholan, Velimukku, Kohinoor, Pengotturmad, and Parammal locations remain unaddressed and need solution. Panchayat roads like Parappulakkal and Kuzhimpattupadam have a level difference, and entry to the service road is not feasible. There is a very serious problem of drainage at various places. Drainage and culvert outlets causing flood in several places require proper connection to natural streams. Adequate arrangements for access from the highway to residential and commercial plots are needed.

Sir, Kerala is a thickly populated State. While making these designs and plans, these factors had to be addressed at the very outset. But there are serious deficiencies in this regard, and people are facing serious problems. I urge upon the Government to take a serious note of the situation, and intervene in this matter to find an urgent solution to the difficulties being faced by the people. Thank you.

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI): Shri Jamyang Tsering Namgyal – Not present.

Shri Sanjeev Kumar Singari ji.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to raise this matter of urgent public importance in this august House.

Sir, this is regarding reclassification of Kurnool city of Andhra Pradesh as a 'Y' category city for the purpose of calculating HRA to the Central Government employees.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): There are thousands of Central Government employees in and around the city of Kurnool, who are serving the nation with dedication. They are the employees of the Ministry of Railways, Department of BSNL and Department of Posts under the Ministry of

Communications, Income Tax Department under the Central Board of Direct Taxes, Central Excise Department and Customs Department under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Bureau of Investigation, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances, Archaeological Survey of India under the Ministry of Culture, Indian Meteorological Department under the Ministry of Earth Sciences, and Kendriya Vidyalaya Sangthan under the Ministry of Education.

Sir, there is a long pending demand for enhancement of HRA from 8 per cent to 16 per cent. This is a legitimate desire and the right of the people for which natural justice should be provided. That means that the Government should fulfil their reasonable demands. These are legitimate demands because Kurnool city has a population of 5.7 lakh and it has surpassed five lakh mark five years back. Decision has been kept pending for want of population census which was due in 2021.

(1210/SAN/MM)

Census could not be conducted due to various reasons, one of which was COVID crisis.

Sir, we know that all government schemes are designed as per the projected population figures. Likewise, enhancing HRA based on projected population figures is very much reasonable and justifiable. As per the 7th Central Pay Commission Report, the CCA classification of Indian cities was abolished in 2008 and new classification of X, Y and Z categories came into force. We have eight X category cities wherein population is more than 50 lakhs. In 2011, two cities were upgraded from Y to X category. We have 97 Y category cities wherein population is more than five lakhs. In 2014, 21 cities were upgraded from Z category to Y category.

Sir, Kurnool city has a population of 5.7 lakhs as certified by local municipal authorities and revenue authorities. So, Kurnool deserves to be upgraded from Z category to Y category. The Central Government employees working in and around Kurnool city will be benefitted. Their HRA will be enhanced from the present eight per cent to 16 per cent. This justifiable demand of Central Government employees may be honoured on humanitarian ground.

I request the Government of India to consider enhancement of HRA of Government employees of Kurnool region from eight per cent to 16 per cent, pending actual census and re-classification of cities of India.

Thank you.

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): Sir, the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh are going to have heavy rainfall in their coastal districts as a deep depression intensified over the Bay of Bengal, moving north-west, and evolved into cyclone Michaung. It is expected that winds may touch a maximum sustained speed of 90 to 110 kmph. In this context, it is important to highlight that the State Government of Tamil Nadu has taken adequate necessary steps. In this regard, in order to further support the efforts taken by the State Government, I humbly request the Union Government to grant, sanction or extend the logistic and financial support to Tamil Nadu in the event of any unforeseen disaster so that it is able to manage the disaster. The Union Government may kindly do the needful for making necessary allotment to the State of Tamil Nadu from the National Disaster Management Fund.

Thank you.

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सर, मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती का किसान बहुत दिक्कत में आया हुआ है। बारामती के बहुत सारे जिले ऐसे हैं, जहां ओले पड़े हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इस साल बिलकुल बारिश नहीं हुई है और वहां सूखा पड़ा हुआ है। पूरा कांट्राडिक्शन हो गया है और पूरा इम्पैक्ट एक जगह क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, इसके कारण किसान बहुत दिक्कत में आ गया है, चाहे अंगूर हो, प्याज हो, केला हो, गेहूं हो, धान हो, कपास हो, कोई भी सब्जी हो, सोयाबीन हो। आप यवतमाल जाएं तो सोयाबीन और कपास की चिंता है, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएं, नासिक में जाएं, बुलढाणा में जाएं, जलगांव में जाएं तो वहां का प्याज का किसान दिक्कत में आ गया है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां यह इम्पैक्ट बारिश और ओलों के कारण या सूखे के कारण है। इसके अलावा दूध का भाव नहीं मिल रहा है, जिससे महाराष्ट्र के किसान बहुत दिक्कत में हैं। हमारी मांग है और महाराष्ट्र की सरकार ने शायद केन्द्र सरकार को लिखा भी है, यहां से टीम जल्द से जल्द महाराष्ट्र जाए और महाराष्ट्र को मदद करे। महाराष्ट्र के जो मेहनत करने वाले सारे किसान हैं, उन सबका पूरा ऋण माफ हो, उनको कर्ज माफी मिले और उनको नया कर्ज भी मिले। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का पूरा मैनेजमेंट करके और एक्सपर्टीज लगा करके आगे किसान कैसे काम करे, इसके लिए भी बड़ा इंटरवेंशन केन्द्र सरकार को करना पड़ेगा।

(1215/YSH/SNT)

महाराष्ट्र का हर एक किसान जो मेहनत करने वाला है, उसको अभी बैंक्स से पैसे लेने की जरूरत है, सरकार को भी इसके लिए मदद करनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे कोविड का समय हो, जब भी किसानों को दिक्कत आती है तो उनके लिए न तो कोई लॉकडाउन होता है और न ही उनके सुख-दुख में कोई होता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि वह महाराष्ट्र के सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करें।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson Sir.

I would like to speak regarding a new railway line, which is a 75-year-long demand for the people of my constituency, Dharmapuri. It is about the connectivity between Morappur and Dharmapuri which gives connectivity to Chennai. I would like to thank the Union Railway Minister for having allocated Rs. 100 crore and starting the railway network programme. Now, there is land compensation and acquisition work going on but there is a small problem at two places where land acquisition is going on. One is Mookanur where a marginalised society is living. There are around 300 families over there who are saying that their houses and agricultural land will be taken over once the railway project comes up there.

Mr. Chairperson Sir, through you, I request the Railway Minister to have a small diversion of 500 meters and have another line by saving the families and the agricultural land of that marginalised society of Mookanur. Also, Reddihalli is another dominant society of people living over there. There also we need a small diversion which we have already represented to the Railway Board and the GM of Southern Railway. We would also like to have the Minister's intervention in it so that the smooth functioning of the Railway comes into place which will have a connectivity to Chennai. Thank you, Sir.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर से दो प्रमुख 6 लेन मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे जा रहे हैं। इन दोनों मार्गों पर औद्योगिक क्षेत्र एवं लॉजिस्टिकल हब बनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर अकबरपुर ब्लॉक के बेवाना गांव और उसके निकट तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के भियांव ब्लॉक के अजमलपुर, गौरी बड़ह, नूरपुर कला और रतना गांव में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है।

इन सभी गांवों के प्रभावित किसान और लोग इस अधिग्रहण के तहत उनको जो मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, उसको लेकर अत्यन्त निराश हैं। मुआवजे के रूप में प्रति बिस्वा 1 लाख 40

हजार रुपये मात्र उनको दिए जा रहे हैं, जबकि मार्केट रेट 6 से 7 लाख रुपये है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि वहां के किसान इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं और वहां पर स्थिति आंदोलित हो चुकी है। यहां तक कि वहां की जनता धरने पर बैठी हुई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूँ कि किसानों के आक्रोश को देखते हुए भूमि अधिग्रहण कानून में उचित तब्दीलियां लाई जाएं, ताकि वहां के लोगों को तथा अम्बेडकर नगर के किसानों को सही रूप से मार्केट रेट पर पैसे दिए जा सकें। इसी के साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिकल हब में जो नए उद्योग आएंगे, उनमें नौकरियों में अम्बेडकर नगर के लोगों के लिए और वहां के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण इश्यू पर केन्द्रित करवाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Thank you so much, Chairman Sir. I would like to draw the kind attention of the House towards a grave concern that has plagued the State of Assam for far too long, that is, the relentless issue of flood and erosion. The State bears the burden of approximately 31.05 lakh hectares of flood prone area as identified by the Rashtriya Barh Ayog, constituting a staggering 39.58 per cent of the total land area of the State, whereas the rest of the country's combined flood prone area stands at about 10.2 per cent only.

(1220/AK/RAJ)

The gravity of the situation cannot be overstated when it is seen that the flood-prone area of Assam is four times the national mark of the flood-prone area of the country.

The Assam's Government projects an increase in extreme rainfall events by five per cent to 35 per cent and an increase in the rise of flood events by more than 25 per cent due to climate change. Natural forces cannot be tamed, but communities can be equipped to pre-empt large-scale disasters. The Government is majorly investing in rescue and relief measures during the floods. While these immediate and short-term actions are necessary, there has been no long-term measures in sight to mitigate the issue.

Similarly, since 1950, over 4.27 lakh hectares -- that is 7.40 per cent of the Assam's total area -- have eroded along the Brahmaputra and its tributaries with an annual average loss of nearly 8,000 hectares. This has led to the

disappearance of 2,500 villages affecting lakhs of people who reside on the embankments. Even with such severity of the situation in Assam, the absence of a proper framework to officially declare floods and erosion as national calamities hinders in combating these recurring challenges effectively.

Therefore, I urge the hon. Union Home Minister to immediately spearhead the development of necessary legislative measures that can enable the formal declaration of floods and erosion as national calamities. Thank you.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूँ। यह प्राइवेट बैंकों की तरफ से किसानों की हो रही लूट का मुद्दा है।

सर, अगर कोई भी आदमी कार लोन लेता है, तो उससे 7.8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। अगर कोई भी बिजनेस या कॉमर्शियल ऐक्टिविटी के लिए कर्ज लेता है, तो उससे 7.25 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। हाउसिंग लोन में 8.5 प्रतिशत से 9.5 तक ब्याज लिया जाता है।

सर, यह हैरानी वाली बात है कि अगर किसान खेती करने के लिए अपनी लिमिट बनाते हैं, उनसे 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। सर, इससे भी आगे आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आप कोई नया ट्रैक्टर लेते हैं, आप कम्बाइन लेते हैं, किसान फार्म इक्विपमेंट्स लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स उनसे उन पर 22 प्रतिशत ब्याज वसूलते हैं। किसान कैसे इतना ब्याज दे पाएंगे? इसको रेशनलाइज करना चाहिए। यह केवल मेरा या अपोजिशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हम सभी का मुद्दा है।

मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बैंकों द्वारा जो किसानों की यह लूट हो रही है, इसे रोका जाए।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए, तो हम ने कॉर्पोरेट्स के तकरीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन राइट ऑफ किए हैं। मैं यह गुजारिश करूंगा कि किसानों का यह सिर्फ पांच लाख करोड़ रुपए है। इसको भी राइट ऑफ करके किसान अपने गले में जो फंदा डालते हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाया जाए। किसानों को कर्ज से मुक्त किया जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you Sir for giving me this opportunity.

Sir, through you, I would like to draw the attention of the Indian Union Government towards the vacant positions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(1225/UB/KN)

Through the data provided by the Ministry of Railways and the Ministry of Education, it is evident that we are far behind in fulfilling our commitment towards the inclusion and equality in the society.

In the Indian Railways, 86,211 vacancies for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are there. It is disheartening that 18,600 of these vacancies were carried over in the previous year. Even the parallel pattern is witnessed in the Central universities where 46 per cent of the reserved seats for OBCs, 44 per cent for STs and 37 per cent for SCs still remain unoccupied. Even in our most prestigious institutions like IITs, 2,750 faculty vacancies reserved for SCs, STs, OBCs and EWS are remaining vacant. This highlights the magnitude of underrepresentation of our society. It is the constitutional duty of the Government to ensure the livelihood and the social upliftment of these communities. In 2014, this Government promised to create 25 crore more jobs. It is imperative for the Government to fulfil this commitment. I appeal to the Government to address the vacancies reserved for SCs, STs, and OBCs with a sense of urgency and transparency in the recruitment process.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, I request the Government to enhance the upper limit of salary from Rs. 21,000 to Rs. 40,000 for availing ESI benefits for all the eligible workers in the private sector. An employee getting a monthly salary of about Rs. 21,000 is out of the ESI coverage. It should be noted that having understood the growing cost of living in the country, the 6th Pay Commission under the UPA Government recommended a salary hike in the Government jobs. The employers in the private sector also revised the salaries of their employees. As a result, a significant section of workers in the private sector receives monthly salary beyond Rs. 21,000. Hence, these employees are out of the purview of the ESI benefits. Therefore, I request the Government to enhance the salary limit up to Rs. 40,000 per month so that lakhs of beneficiaries can avail ESI benefits.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Sir, exactly ten years ago, in the Sixteenth Lok Sabha, the great State of Andhra Pradesh was divided by making several promises under the A. P. Reorganisation Act. One of the promises was for providing a South Coastal Railway Zone in Visakhapatnam. It was finally approved in the 17th Lok Sabha in 2019, but it is yet to become reality. The DPRs

are still under review. No timeframe was fixed to make this an operational railway zone while special status is still pending. People of Andhra Pradesh are eagerly appealing for making other promises a reality and I request the Government to make our dream for a South Coastal Railway Zone a reality. Also, on a side note, there is a new Vande Bharat Express from Hyderabad to Visakhapatnam. My constituency is Eluru which is a district headquarters with almost two lakh people and almost one million people live around Eluru but, unfortunately, there is no stop in Eluru. The next stop from Eluru is almost 200 kms in Rajahmundry. I request the hon. Railway Minister to consider Eluru to have a stop for Vande Bharat Express between Hyderabad and Visakhapatnam.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of the Government to our eight ex-Navy personnel who once commanded the frontline ships of our country to defend the nation from hostile neighbours but are now facing serious charges in Qatar even though the charges are unspecified.

(1230/SRG/VB)

But reports are coming up that they are facing death sentences. So, the families of those hapless ex-Navy personnel are suffering a lot. They do not know when the Sword of Damocles will be descended upon them. They do not know the fate of those unfortunate and hapless ex-Navy personnel of our country. I know that India has a good affinity with the Government of Qatar.

So, I would suggest that all sorts of resources should be exhausted to persuade the Qatar Government in order to get those ex-Navy personnel rid of this kind of charges because it is the concern of the nation, and it is the concern of those families. So, I would suggest to the Government that they should be pro-active and they should strive hard to get relief for those hapless ex-Navy personnel of our country.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the famous and a well-known agricultural scientist, Padma Vibhushan awardee, Dr. M.S. Swaminathan passed away about three months back in Chennai.

Sir, the country is very much aware about Dr. M.S. Swaminathan's contribution in our agricultural sector as well as self-sufficiency in food security. But at the same time, the NDA Government chose to disrespect the legend when he passed away as the Government did not accord any rightful honour or pay

tributes or mark respect to Dr. M.S. Swaminathan, and displayed their arrogant and ungrateful attitude towards a great scientist. The Government also did not send a proper representative of the Union Government to be present throughout the funeral function in Chennai. His family belongs to my Parliamentary constituency, Kuttanad. He has made a great contribution to the agricultural sector in Kerala also. So, I demand, through you, at least now the Government must take steps in granting the rightful honour to Dr. M.S. Swaminathan by awarding him the citation of Bharat Ratna posthumously. Further, Dr. M.S. Swaminathan's life-size statue be erected in the Parliament Building along with a portrait installed in the Central Hall. Also, I suggest that the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) be re-named immediately as M.S. Swaminathan Institute of Agricultural Research. The Government must rectify its mistake and honour Dr. M.S. Swaminathan for his extraordinary contribution to Indian agriculture and in ensuring food security which is considered as the pillar of the nation.

With these words, through you, I would urgently like to invite the attention of the Government to the contributions made by Dr. M.S. Swaminathan. The country cannot ignore him. So, hon. Ministers are here. ... (*Interruptions*) Hon. Cabinet Ministers are here. ... (*Interruptions*) Smriti Irani ji, Dharamendra Pradhan ji and Anurag Singh Thakur ji are here. ... (*Interruptions*) So, you are ignoring ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I take huge exception to my name being called out without substance and without information by the hon. Member. ... (*Interruptions*) Secondly, Sir, I am sure that once the Member lays the issue at hand on the Floor, the appropriate Minister will respond. ... (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Who is the appropriate Minister? ... (*Interruptions*) The Agriculture Minister is not there. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: But I would tell, through you, Sir, that the hon. Member not to be in a spiteful position just because his Party has faced a

humiliating defeat just yesterday after the election results were announced. ...
(Interruptions)

(1235/PC/RCP)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : प्लीज़, बैठ जाइए। वैज्ञानिकों के विषय को पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बसंत कुमार पंडा जी।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : सर, मैं यहां यह विषय रेज़ करना चाहूंगी कि वर्ष 2019 में गुरु नानक देव जी के 550 साल के गुरुपुरब पर इस सरकार की तरफ से ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, श्री बसंत कुमार पंडा जी बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, आपका नाम नहीं लिया गया है।

... (व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी) : माननीय सभापति महोदय, पिछले नौ वर्षों से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों का कौशल बढ़ाने और उनको विश्व स्तर पर ले जाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और देशों में कलाकार प्रतियोगिताएं, कला संगमों द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ओडिशा के पश्चिम क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्मारक स्थित होने के साथ ही पश्चिम ओडिशा में भवानीपटना पश्चिम ओडिशा का केंद्र बिंदु है। कालाहाण्डी, कोरापुट और नुआपड़ा के कई स्थानों को भारत के दूसरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहां विशाल घाटी, पहाड़, पानी के बड़े झरने, डैम्स, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अद्भुत नजारे स्थित हैं। यह क्षेत्र आदिवासी, कला, गीत-संगीत, नृत्य और ओडिशा के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उद्गम स्थल है। हमारे यहां पश्चिम क्षेत्र के प्रतिभापूर्ण कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, जिससे अभी वे वंचित हैं। पश्चिम ओडिशा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहां के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम ओडिशा हमेशा से उपेक्षा का कारण बना हुआ है और राज्य सरकार 'स्टेपमदर एटिट्यूड' हमारे क्षेत्र के प्रति दिखाती आ रही है। ओडिशा में सिर्फ एक कलिंगा स्टूडियो है, जो कि कटक में स्थित है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मामलों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित कर पश्चिम ओडिशा में भवानीपटना के पास अकादमिक फिल्म

प्रशिक्षण स्कूल और साथ में राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके भूमि आवंटन हेतु आग्रह किया जाए, ताकि वहां जल्द से जल्द एक फिल्म स्टूडियो की शुरुआत हो सके, जिससे हमारी आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिले।

पश्चिम ओडिशा की बड़ी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। इससे यहां से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर भाग लेने और पश्चिम क्षेत्र के कलाकारों को विश्व स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करके क्षेत्र का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए बढ़-चढ़कर मौका मिलेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से, संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि तुरंत इसके ऊपर कदम उठाया जाए।

(1240/CS/PS)

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अखनूर, खौड़ और ज्योड़ियां की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरिया चिनाब है। दरिया चिनाब में जब भी बाढ़ आती है तो सारे क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि बह जाती है। दरिया उसे बहाकर ले जाता है। अब हद इतनी हो गई है कि जब भी बाढ़ आती है या बर्फ पिघलने से दरिया का पानी बढ़ता है तो वह पानी गाँवों में घुसना शुरू हो गया है।

महोदय, जो कृषि योग्य भूमि है, वह तो बह गई है, लेकिन अब गाँव बहने की कगार पर आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाँव चिनाब दरिया की लपेट में आ रहे हैं, अगर हमने कोई ठोस कदम उन गाँवों को बचाने के लिए नहीं उठाया तो वे गाँव के गाँव बह जाएंगे और लोग बेघर हो जाएंगे।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि अखनूर, गुर्गी, टकी, संग्रामपुर, मखियाला, चंचवा, देवीपुर, चक सिकंदर, गैर, बकौर और इसके अलावा कुछ छोटे गाँव भी हैं, जो दरिया चिनाब की लपेट में आ गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, देखिए पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था, लेकिन अब 55 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ पर एक बांध बांधने की योजना बनी है ताकि उन गाँवों को बहने से बचाया जाए। यह 55 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट वन एवं जल संसाधन मंत्रालय में आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल संसाधन मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे और इस 55 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करे ताकि वहाँ पर एक बांध बनाया जाए और बांध बनाकर उन गाँवों को बहने से बचाया जाए। यह हमारे उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है।

मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, सदन से भी प्रार्थना करता हूँ और जल संसाधन मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूँ कि अखनूर के साथ-साथ लगने वाले जितने भी गाँव हैं, उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए और यह 55 करोड़ रुपये की राशि इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर की जाए ताकि वहाँ पर एक अच्छा बांध बने और उन गाँवों को बचाया जा सके। धन्यवाद।

*SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Respected sir thank you very much for allowing me to speak on a very important issue, concerning my constituency Dhenkanal in Odisha. In fact, I want you to visit my state and inspect the condition of 3 National Highways -49 from Pallahada to Keonjhar, 55 from Cuttack to Sambalpur and 149, connecting Tikri to Dubri.

The roads are incomplete and widening process is taking too long. Hence accidents are a frequent occurrence. Till date 326 people have died. So many precious lives have been lost. Dhenkanal contributes around 1000 crores to the central government. Although the work is still in progress, some of the stretches have been inaugurated by a union minister. I find it rather strange. Sir I urge upon the central government to expedite the work and ensure the development of my state and especially my district which is one of the highest contributor of Revenue. Union minister of HRD is here and I request him too to do the needful for our State – Odisha.

(1245/IND/SMN)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : श्री ज्ञानेश्वर पाटिल -उपस्थित नहीं।
श्री सुदीप बन्दोपाध्याय।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I want to raise an important issue which is related to my State.

Sir, for MGNREGA, Awas Yojana and for National Health Mission, money was allotted by the Government of India. That money amounting up to Rs. 18,000 crore has been kept blocked since last two years. We, a few MPs and our Ministers came to Delhi to meet the hon. Minister of State. Surprisingly, we were kept waiting for two hours in the waiting hall. We were offered tea and ultimately, after two-and-a-half hours, when we went for the meeting, she left from behind the door.

माननीय सभापति : आप अपने इश्यू की बात कीजिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we were lifted bodily. Senior MPs and ten Ministers were taken twenty kilometres away from Delhi. We demand that the MNREGA allotment and Awas Yojana allotment should be sent to State Government without further delay.

We, including our Chief Minister, are keen to place our demand to the Prime Minister of India and we want this issue to be discussed on the floor of this House without further delay and economic blockade should not be allowed to be created in the State of West Bengal.

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति जी, आपकी अनुमति से सदन के वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने भारत सरकार की योजनाओं मनरेगा और प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में कहा है कि उनको भारत सरकार ने ब्लॉक किया है... (व्यवधान) सभापति जी, यह तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की तरफ से बंगाल के गरीबों का पैसा ले जाते हैं और उसमें तोलाबाजी करते हैं, कट मनी रखते हैं, यही मूल कारण है... (व्यवधान) देश के सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं, लेकिन बंगाल की सरकार स्वयं को उससे ऊपर मानती है... (व्यवधान) On the floor of the House, I would like to mention that in the PM Poshan Yojana, that is, in the Mid Day Meals Scheme, they have misappropriated Rs. 4000 crore. The Government of India has given this for inquiry to CBI. Everything will come out. ये गरीबों के पैसे की लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्च करते हैं... (व्यवधान) इनके ऊपर इन्कवायरी होगी। इनके आधा दर्जन मंत्री जेल में हैं... (व्यवधान) इनके शिक्षा मंत्री जेल में हैं। इन्हें डर लगने लगा है कि इनकी लीडरशिप जेल में जाएगी, इसी डर से ये सदन के समय को खराब करते हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री हसनैन मसूदी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सिर्फ मसूदी जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

... (Interruptions) ... (Not recorded)

(1250/RV/SM)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, जम्मू-कश्मीर को कई संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मसला है कि वहां कोई लोकशाही नहीं है, हम पिछले छः सालों से वहां अफसरशाही से जूझ रहे हैं। आज जब पाँच रियासतों में इंतेखाबात के नताईज का जश्न मनाया जा रहा है, जम्मू-कश्मीर में पिछले छः सालों से हमें इंतेखाबात का इंतज़ार है। वह एक संगीन मसला है, लेकिन आज जो वहां सबसे संगीन मसला है, वह बिजली का बोहरान है।

जनाब, हम 3215 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, लेकिन आजकल ठितुरती सर्दी में, सब-जीरो टेम्परेचर में वहां पर 16 घंटे का शट-डाउन रहता है। मेरा मुतालिबा होगा कि जो बिजली की कटौती है, पहले वह रेशन्लाइज्ड की जाए।

दूसरी बात है कि एनएचपीसी के पास हमारे पावर जेनरेशन के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं, वे वापस लिए जाएं क्योंकि एनएचपीसी ने उससे बहुत पैसे हासिल किए हैं। सलाल के एग्रीमेंट के 25 सालों तक रहने की बात थी, लेकिन आज 50 सालों से वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए बिजली का मसला तब तक हल नहीं होगा, जब तक हमने एनएचपीसी को जो दिए थे, चाहे वह उरी-1 हो या उरी-2 हो या बगलिहार हो या सलाल प्रोजेक्ट हो, या वहां पर जो भी हों, उन्हें हमें वापस दिए जाएं।

हमारे यहां जो एस.टी. हैं, बीपीएल हैं और जो आखिरी पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनसे आज भी स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली फीस हजार रुपये से ज्यादा ली जा रही है जबकि पास की रियासतों में लोगों के बिजली बिल ज़ीरो आते हैं। पंजाब में, दिल्ली में, आपका जो शासन उत्तराखण्ड में है, वहां बिजली बिल ज़ीरो आते हैं। आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली को कम कीमत पर देने का या ज़ीरो बिल देने का वायदा किया है, पर जम्मू-कश्मीर के साथ एक अलहदा ही व्यवहार किया जाता है जैसे कि जम्मू-कश्मीर देश का हिस्सा ही नहीं है। हमारे पास की रियासत पंजाब में वहां की आधी आबादी का ज़ीरो बिल आता है और हमारे यहां के एस.टी., बीपीएल, एस.सी., और आखिरी पायदान पर रहने वाले जो लोग हैं, उनसे बहुत बिजली बिल लिए जाते हैं।

जनाब, आपसे मेरा इतना ही मुतालिबा है कि एनएचपीसी के पास हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें उनसे वापस लिए जाएं। उनका पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी एनएचपीसी उसे चला रही है। दूसरी बात है कि वहां पर जो शट-डाउन है, उसे रेशन्लाइज्ड किया जाए, ताकि लोगों को वहां पर मुश्किलों का सामना न करना पड़े।

جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): شکریہ چیرمین جناب، جموں و کشمیر کو کئی سنگین مسائل

کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، ہم وہاں پچھلے چھ سال سے بیوروکریسی سے جو جھ رے ہیں۔ آج جب پانچ ریاستوں میں انتخابات کے نتائج کا جشن منایا جا رہا

ہے، جموں و کشمیر میں ہمیں پچھلے چھ سالوں سے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن آج سب سے سنگین مسئلہ بجلی کی کمی ہے۔

جناب، ہم 3215 میگاواٹ بجلی پیدا کرتے ہیں، لیکن آج کل شدید سردی میں، زیر درجہ حرارت میں 16 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ پہلے بجلی کی جو کٹوتی ہے اس کو معقول بنایا جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پاور جنریشن کے ہائیڈرو الیکٹرک یونٹس کو واپس لے لیا جائے جو NHPC کے پاس ہے کیونکہ NHPC نے ان سے بہت پیسے حاصل کیئے ہیں۔ سلال کا معاہدہ 25 سال تک چلنا تھا، لیکن آج یہ 50 سال سے مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ لہذا بجلی کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے NHPC کو جو کچھ دیا ہے، خواہ وہ Uri-1 ہو یا Uri-2 یا بگلیہار ہو یا سلال پروجیکٹ، یا جو کچھ بھی ہو انہیں ہمیں واپس دیا جائے۔

ہمارے یہاں جو S.T ہیں، بی پی ایل ہیں اور جو آخری درجے میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے آج بھی اسمارٹ میٹر کے نام پر بجلی کی فیس کے طور پر ہزار روپے سے زیادہ وصول کی جا رہی ہے، جب کہ قریبی ریاستوں میں لوگوں کے بجلی کے بل صفر آتے ہیں۔ پنجاب میں، دہلی میں آپ کی جو حکومت اٹراکھنڈ میں ہیں وہاں بجلی کے بل صفر آتے ہیں۔ آپ نے راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کم قیمت یا صفر بل پر بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جموں و کشمیر کے ساتھ ایک الگ ہی سلوک کیا جاتا ہے جیسے جموں و کشمیر ملک کا حصہ نہ ہو۔ ہماری قریبی ریاست پنجاب میں، نصف آبادی کو بجلی کے بل صفر آتے ہیں اور ہمارے ST، BPL، SC اور آخری نمبر پر رہنے والے لوگوں سے بجلی کے بھاری بل وصول کیے جاتے ہیں۔

جناب، میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے پروجیکٹ جو NHPC کے پاس ہیں ان سے واپس لے لیے جائیں۔ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود NHPC اسے چلا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں شٹ ڈاؤن کو معقول بنایا جائے، تاکہ وہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि इस सदन में आपने मुझे एक अत्यंत गम्भीर चिंता के विषय को इस सदन में उठाने का अवसर दिया है।

महोदय, यह चिंता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, यह सम्पूर्ण समाज के लिए है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ से जिस तरह से नकली वीडियो, चित्र या इस तरह की चीजें वायरल की जा रही हैं, वह देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है। समाज में इस तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित करके लोगों के बीच में किसी का चरित्र-हनन करके या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीजों को वायरल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का उपयोग कर इस डीप फेक का प्रचार-प्रसार पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया है। अभी तक इस पर कोई विधायी कानून भी नहीं है। इस गम्भीर सवाल पर सरकार भी सोच रही है। यह पूरे देश में बढ़ रहा है।

पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे रश्मिका मंधाना का मामला हो, चाहे आलिया भट्ट का मामला हो, चाहे वे फिल्म स्टार्स हों, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, हम लोग, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उनके लिए अगर कोई इस तकनीक का दुरुपयोग करके इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं तो यह उनके पूरे जीवन पर एक सवालिया निशान लगा देता है। इस डीप फेक का आज बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा है और इसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए भी खतरा है। इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले दिनों माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर निश्चित तौर पर एक प्रभावी कार्रवाई हो और यदि आवश्यकता हो तो सरकार इस पर एक मजबूत लेजिस्लेशन बनाने का काम करे।

*DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): I thank you, Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on two important subjects of urgent public importance.

Sir, I am an elected MP of Shri Fatehgarh Sahib. This is the place where during Aurangzeb's rule, governor Wazir Khan had walled alive two Sahibzadas of the Tenth Guru Shri Guru Gobind Singh.

I had requested the Central Government that Fatehgarh Sahib should be brought in the International Tourist Circuit and all facilities should be provided there so that all Sikh pilgrims and other devotees could have a 'darshan' of the site here.

Secondly, Sir, I wish to raise the issue of farmers. When the Farmers' Agitation ended, the Central Government had promised that in line with the MSP being provided on wheat and paddy, they will make arrangements for providing MSP for all the crops. However, nothing has been done in this regard.

In Punjab, the sugarcane farmers are being beaten on roads for demanding MSP.

Sir, farmers are providers of foodgrains in the country. We must fulfil promises made to the farmers. Their demands must be met.

Thank you.

(1255/RP/GG)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you hon. Chairman, Sir, for affording me this opportunity to raise a very serious matter of urgent public concern as far as my State Kerala is concerned.

Sir, this is a matter with respect to the Coastal Zone Management Plan to be provided by the State Governments. The Coastal Zone Management Plan is one of the essential pre-requirements so as to implement the amendments in the Coastal Regulation Zone Notification 2019. The coastal area people, especially, the fishermen community in my State, are finding it very difficult to construct the houses even for their livelihood. They are finding it very difficult to continue their lives in the coastal areas because of this Coastal Regulation Zone Plan. It is quite unfortunate to note that the State Government has not completed the process of preparing the Coastal Zone Management Plan. Even the people's representatives have not been taken into confidence in preparing the Coastal Zone Management Plan. In my constituency, most of the coastal area villages are more than that of the urbanised panchayats. They have not been taken into consideration in the draft plan preparation. The draft plan is prepared without considering the development of the coastal panchayats. The coastal panchayats in my constituency in particular and the State of Kerala in total are much more developed than the municipalities and corporations which are falling under the urban zone.

Hence, it is highly necessary to prepare a plan considering the development of coastal panchayats. It is highly necessary to publish the CRZ Notification considering the aforesaid facts to protect the coastal population in Kerala, particularly, Kollam, my Lok Sabha Constituency. If the 2019 Notification of coastal regulation has to be made effective, the Coastal Zone Management Plan has to be issued by the State Government. So, I urge upon the Government of India to intervene in this matter in the interest of coastal fishermen and the people living in the coastal areas by giving a direction to implement the Notification by preparing the Coastal Zone Management Plan. Thank you very much, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक एक लोकल ट्रेन चलती है। कोविड के बाद, दोपहर 11.30 से 2.30 बजे के बीच वह लोकल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, जबकि उसी समय सभी मालगाड़ियां उस रूट पर चलती हैं। जब मैं रेलवे मंत्री जी से इस संबंध में मिला, तब उन्होंने बताया कि दोपहर के समय मेन्टेनेंस के कारण लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। महोदय, जब मालगाड़ी उसी समय चलती है तो फिर लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल सकती है? दोपहर के समय स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, महिलाएं, कर्मचारी इससे प्रभावित होते हैं एवं किसान भी दूध बेचने पुणे तक जाते हैं तो उनको भी दो-ढाई घंटे रेलवे स्टेशन पर वेट करना पड़ता है। मैं कई बार, इस संबंध में रेलवे मिनिस्टर से मिला हूँ। रेलवे बोर्ड एवं रेलवे मंत्रालय ने पुणे से लोनावला तक तीसरे और चौथे ट्रैक को मंजूरी दी है और

इसको 3-4 साल हो गए हैं। जब सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, तब इसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री ऐकनाथ शिंदे जी ने इस संबंध में एक मीटिंग भी की है।

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI): Kindly conclude.

(1300/MY/NKL)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वादा भी किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी रेलवे बोर्ड की तरह उसमें सहायता करेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि पुणे से लोनावला तक जाने वाली लोकल ट्रेन दोपहर के समय, खासकर साढ़े ग्यारह से ढाई बजे के बीच चलाई जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, केंद्र सरकार की योजना आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण और विस्तार की दृष्टि से कार्य मेरे संसदीय क्षेत्र मेरठ जनपद के अंतर्गत चल रहा है।

महोदय, जिस कंपनी को इसका काम दिया गया है, उसकी गति इतनी धीमी है कि काम लगभग हो ही नहीं रहा है। विद्युत समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने दो बैठकों में इस बात की चर्चा की। अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की, परंतु उसके काम में किसी भी प्रकार की गति नहीं आई है। जो अधीक्षण अभियंता (एसई) हैं, उनके द्वारा लिखने के बाद भी इसकी गति नहीं बढ़ी है।

माननीय सभापति जी, अभी तक केवल छह प्रतिशत काम हुआ है। यह काम दिसंबर महीने तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसकी यह स्थिति है। मैं उस कंपनी का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा की जाए। उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो, उसे सरकार और माननीय मंत्री जी करें, ताकि आरडीएसएस के अंतर्गत जो अपेक्षित काम है, वह पूरा हो सके।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मेरे जिले में, हालांकि यह मेरे लोक सभा क्षेत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन एनआरएचएम का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस जिले का अध्यक्ष हूँ। वह मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। यह सुंदर पहाड़ी है। पिछले एक महीने से प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो पहाड़िया जनजाति है, उनके 20 बच्चों की मौत हो गई है। मलेरिया या इसी तरह का कोई ऐसा वायरल है, जिसको राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। मैं और हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी, हम दोनों वहां विजिट कर चुके हैं। लिटीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी का यह हाल है।

सर, हालत यह है कि वहां डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि पीटीजी को हम 100 परसेंट प्रधानमंत्री आवास देते हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट में भी नहीं है। एक भी आदिवासी परिवार को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां एक भी आदिवासी को वहां प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाई हैं। वहां डॉक्टर की भी सुविधा नहीं है। रोड की यह हालत है कि मेरा खुद का हाथ छिल गया है, मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया। वहां मैं मोटरसाइकिल पर भी नहीं चढ़ पाया।

सर, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाले मेरे इलाके में जो सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए, यहां से केंद्रीय टीम को भेजा जाए। वहां प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के जो बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान बचायी जाए।

**LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Supriya Sadanand Sule	Shri Jagdambika Pal Shri Malook Nagar
Shri Jasbir Singh Gill	Shri Malook Nagar
Shri Ritesh Pandey	Shri Malook Nagar
Shri Jagdambika Pal	Shri S. C. Udasi Shri P.P. Chaudhary Shri Malook Nagar
Shri Basanta Kumar Panda	Shri Parvesh Sahib Singh Verma Sushri Sunita Duggal
Shri Jugal Kishore Sharma	Shri Malook Nagar
Dr. Amar Singh	Shri Malook Nagar
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Krupal Balaji Tumane
Shri N.K. Premachandran	Shri Gopal Shetty
Dr. Nishikant Dubey	Shri Malook Nagar
Shri Rajendra Agrawal	Shri Malook Nagar
Shri Raghu Rama Krishna Raju	Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shri Anto Antony	Shri B. Manickam Tagore Shri N.K. Premachandran Shri M.K. Raghavan Shri V. K. Sreekandan Shri Rajmohan Unnithan Shri Benny Behanan
Shri Chandra Sekhar Sahu	Shri S. C. Udasi

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1303 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/CP/MMN)

1404 बजे

लोक सभा अपराह्न चौदह बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत् हुई।
(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

1404 बजे

माननीय सभापति : नियम-377- श्री राजू बिष्ट।

(1405/NK/VR)

Re: Expediting the process for funding permanent political solution to the long pending demands of the people from Darjeeling, West Bengal

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सभापति महोदय, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स चार इंटरनेशनल बार्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक और संवेदनशील है। पूरा दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डुआर्स क्षेत्र एक विशेष एडिमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रखता रहा है। नॉन-रेगुलेटेड एरिया, रेगुलेटेड एरिया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवार्ड ट्रैक, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जैसी व्यवस्था रही है।

लेकिन आजादी के बाद कुशल संवैधानिक शासन नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता की उपेक्षा होती रही। केन्द्र सरकार द्वारा लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन आबंटित किया गया, लेकिन धरातल पर राशि जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे इंस्टीट्यूशन्स बंद हो रहे हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्षेत्र बुनियादी सुविधा से वंचित है। पूरा क्षेत्र डेमोग्रेफिक चेंज से समस्याग्रस्त है। संवैधानिक अधिकार से जनता वंचित है। गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, कूच, मेक, टोटो, बंगाली, हिन्दीवासी और अन्य मूल निवासी खतरे में हैं। हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र को सुरक्षित रखना राष्ट्र हित में अति आवश्यक है। हमें संवैधानिक न्याय एवं स्थायी समाधान चाहिए, जो हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन सुनिश्चित करें।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि कृपया स्थायी समाधान में तेजी लाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जल्द न्याय मिल सकें।

(इति)

Re: Alleged encroachment of forest lands in Kolar District, Karnataka

*SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Sir, I would like to know the stand taken by the Union Government regarding the alleged harassment meted out to the farmers of the Srinivaspur Taluka of Kolar District of Karnataka regarding the alleged encroachment of forest lands. ... (Interruptions)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप केवल टेक्स्ट पढ़िए, 377 में जो आपने लिख कर दिया है, केवल उसी को पढ़िए। उससे हटिए नहीं।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please read the text only. There should be no change in that.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please read whatever text you have submitted. Only that would go on record.

....(Interruptions)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपने जो लिख कर दिया है, उसी को पढ़िए, Only the matter that you have submitted goes in record in discussion on Matters Under Rule 377. Whatever you are speaking other than that would not go in record.

... (व्यवधान)

(1410/SK/SAN)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आपने जो पाठ लिखकर दिया है, कृपया उसी को पढ़िए क्योंकि वही रिकॉर्ड में जाएगा।

... (व्यवधान)

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): The encroachment of forest lands is a baseless claim from the forest officials of the Government of Karnataka for the fact that the farmers over here have proper land records, some of them have court orders, the lands have been tilled from several decades and is the only source of their livelihood. I further want to know if the Ministry of Environment, Forests & Climate Change is inclined to come to the rescue of the distressed farmers of Kolar District and use the prerogative powers if any and whether the Ministry is finding any possibilities for intervention as the mango plantations as old as fifty years and many crops especially vegetables due for yield have been destroyed in an inhumane way breaching the trust of a farmer.

(ends)

**Re: Allocation of funds for the construction of
Farrukhabad-Mailaini railway line**

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): महोदय, फर्रुखाबाद – अल्लाहगंज - जलालाबाद - शाहजहाँपुर - पुवायां - खुटार - मैलानी, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, नई रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस परियोजना पर अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उपरोक्त रेलवे लाइन के स्थापित किए जाने से जहां शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, लखमीपुर-खीरी, बदायूं, पीलीभीत, जो अत्यधिक पिछड़े जिले हैं, इन जनपदों के दूरगामी ग्रामीण अंचल रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे, वहीं सैन्य छावनियों के कारण शाहजहाँपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा ग्वालियर, झांसी और टनकपुर स्थित छावनियों से होने पर संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए फर्रुखाबाद-मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन शीघ्र किया जाए ताकि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ देश को सामरिक दृष्टिकोण से भी मजबूती मिल सके।

(इति)

**Re: Issues pertaining to railways in Palamu
Parliamentary Constituency**

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): कोविड-19 के दौरान बंद की गयी बरवाडीह-चोपन-चुनार पैसेंजर ट्रेन संख्या 53351/53352 का परिचालन अभी तक प्रारम्भ नहीं होने से पलामू क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 11 रेलवे स्टेशनों क्रमशः नगर उंटारी, रमना, मेराल, गढ़वा, गढ़वा रोष, तोलरा, लालगढ़ बिहार, रजहारा, कजरी, डालटनगंज एवं चियाकी के यात्रियों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारम्भ करने की जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है साथ ही रांची-चोपन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18613/18614 एवं पटना सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 23347/23348 का ठहराव मेराल रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। विदित है कि उक्त स्टेशन पर एक मात्र चोपन-गोमो पैसेंजर ट्रेन रुकती है तथा कोई भी अन्य पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया गया है। मेराल स्टेशन से रमना स्टेशन एवं गढ़वा स्टेशन की दूरी लगभग 11-11 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ की जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि ट्रेन संख्या 53351/53352 का परिचालन पुनः प्रारम्भ करने एवं ट्रेन संख्या 18613/18614 एवं ट्रेन संख्या 23347/23348 का ठहराव मेराल रेलवे स्टेशन पर करने की कृपा की जाए।

(इति)

(1415/KDS/SNT)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : श्री जगदम्बिका पाल (उपस्थित नहीं),
श्री नारणभाई काछड़िया (उपस्थित नहीं),
डॉ. उमेश जी. जाधवा

Re: Running of a new train between Kalaburagi and Bengaluru and extension of services of Vande Bharat Express upto Kalaburagi

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): India's 9th Vande Bharat Express between Mumbai CSTM to Solapur (22225/22226) has started on 10.02.23 and is running across Maharashtra. I would like to bring to your kind notice that Kalaburagi is the Zonal Headquarter of six Districts of Kalyan Karnataka Region. If this train is extended up to Kalaburagi, then it would be a great boost to the economy of this region. As more than ten thousand people travel to Mumbai every day, considering the time taken to reach Mumbai, it will be great help for the Business community. There is no dedicated train between Kalaburagi to Bangalore which is 4th largest city in Karnataka. There is huge passenger movement from Kalaburagi to Bengaluru and all existing trains are always full making it hard for general public to get confirmed berths. Further, due to the opening of 3rd coaching terminal at Baiyappanahalli in Bengaluru and doubling and electrification between Guntakal-Bengaluru which is almost complete, it is time now to introduce a new Kalaburagi-Bengaluru overnight train. Kalaburagi is having the pit line, so both trains can be easily maintained at Kalaburagi Station.

(ends)

Re: Construction of elevated flyover in Sandila in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत संडीला कस्बे में घनी आबादी एवं मुख्य बाजार में आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए सिंगल पिलर पर एलिवेटेड फ्लाई-ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है ताकि संडीला कस्बे में वाहनों की पार्किंग एवं आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखने में समस्या उत्पन्न न हो। इस संबंध में मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि दिशा समिति की बैठक में भी दिनांक 14.09.2022 और 19.02.2023 को स्थानीय जनता की मांग पर उपरोक्त प्रस्तावित अंडरपास (वीयूपी) के स्थान पर सिंगल पिलर पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव दिया था। इस संबंध में मैं लोकसभा में नियम 370 सूचना के अधीन और माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी को भी एक पत्र के माध्यम से निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन इस प्रकरण में अभी तक NHA द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संडीला कस्बे में सिंगल पिलर पर एक एलिवेटेड फ्लाई-ओवर का निर्माण किए जाने हेतु स्वीकृत प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए। (इति)

Re: Need to set up sewerage treatment plant and construct crematorium under Namami Gange Programme in Darbhanga, Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): महोदय, क्या नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा (बिहार) का चयन वर्ष 2018 में हुआ था और इस योजना के तहत पहले चरण में दो प्रमुख नदियां शहर के पश्चिम दिशा में बहने वाली बागमती नदी एवं पूरब बहने वाली कमला नदी की स्वच्छता को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी। जिसमें शहर के 23 बड़े नालों का गंदा पानी बागमती नदी में, वहीं डीएमसीएच से छपरार घाट तक का गंदा पानी कमला नदी में गिराया जाता है। इसी गंदगी से बचाने हेतु यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, जो योजना के चयन और स्वीकृति के करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं बागमती नदी के तट पर स्वीकृत शव दाह गृह का निर्माण भी नहीं किया गया है। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत अवस्थित दिग्घी, हराही व गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी लंबित जाना है। नमामि गंगे योजना के तहत दरभंगा में अभी तक एक भी एसटीपी निर्माण नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभी कार्यों की यथास्थिति और प्रगति क्या है? (इति)

(1420/MK/AK)

Re: Construction of Khandwa-Dhar Railway Project

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक बहुउद्देशीय रेल परियोजना खंडवा से धार वाया खरगोन बड़वानी, जो कि विगत कई वर्षों से लंबित है। उसके सर्वे का कार्य सेंट्रल रेलवे को सौंपा गया था। वर्तमान में सर्वे कि क्या स्थिति है? यदि उक्त सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तो फाइल लोकेशन सर्वे कब तक कराया जायेगा? उक्त रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेलवे मंत्रालय की आगामी रूपरेखा क्या है? जिससे बहु प्रतीक्षित परियोजना का लाभ शीघ्रातिशीघ्र आदिवासी अंचल के निवासियों को मिल सके। (इति)

Re: Construction of Airport in Gadchiroli, Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली - चिमुर् लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा दुर्गम और नक्सलवाद से प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र है। गड़चिरोली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट स्थापित किया गया था। इस एयरपोर्ट से विमान सेवाएं प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन वर्तमान में बंद पड़ी हुई हैं। दूसरे, गड़चिरोली से नागपुर जो एयरपोर्ट है उसकी दूरी भी गड़चिरोली से 200 किलोमीटर की है। जिला कलेक्टर, गड़चिरोली द्वारा गड़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना कराए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह गड़चिरोली में एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने हेतु सार्थक कदम उठाए। (इति)

**Re: Need to provide subsidy to cooperative societies working in agriculture sector
in Jalgaon District, Maharashtra**

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए कार्यकारी सहकारी सोसाइटी (विविध कार्यकारी सोसाइटी) एक अहम भूमिका में मेरे महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित है। मेरे जलगांव जिले में 900 से अधिक सोसाइटी कार्यान्वित हैं, जिसमें से 550 से अधिक सोसाइटी के हाल ही में हुए ऑडिट के अनुसार कई अलग-अलग कार्यकारी समितियों में प्रतिकूल असमानताएं (अवांछनीय अंतर) हैं। यह बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। विकास सोसाइटियों के इस अवांछनीय अंतर में पड़ने का मुख्य कारण समिति के सभी सदस्यों से 100% फसली ऋण की वसूली न होना है। इसके कारण यह राशि हर साल बढ़ती जाती है और साथ ही सूखा, भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान फसल ऋण का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं और ब्याज की बढ़ती राशि के कारण किसान सोसाइटी में ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं और अंततः ये विकास सोसाइटियां अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन सभी विकास सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराये जिससे ये सभी संस्थानों को निरंतर सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हों।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री राजीव प्रताप रूडी जी – उपस्थित नहीं।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल जी – उपस्थित नहीं।

डॉ. सुजय विखे पाटील जी – उपस्थित नहीं।

श्री मितेश पटेल जी – उपस्थित नहीं।

डॉ. निशिकांत दुबे जी ।

(1425/UB/SJN)

Re: Need to recognise Khetowrie and Ghatwals as Scheduled Tribes

*DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I want to place a piece of great historical record -- a book titled: 'The Little World of an Indian District Officer', written by R. Carstairs and published by Macmillan & Co., London, in 1912. In this book, there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Parganas was created and named in 1855, and thus was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent Settlement in 1790, every part of the territory was occupied. This details that at the time of the Permanent Settlement there was not a single Sonthal in the whole of this area. 'Bhunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders -- yes, but Sonthals, no'. It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the dispensation of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today. Thus, the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes. (ends)

* Spoke in Hindi

Re: Reconstitution of Joint Consultative Mechanism (JCM) in ISRO and the Department of Science

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the hon. Minister of State, Department of Science and Technology, towards the urgent need to reconstitute the Joint Consultative Mechanism (JCM) within ISRO and the Department of Science. JCM was introduced by the Government as a negotiation mechanism for employees in Government offices in 1963. In the case of ISRO and DoS, a re-verification process is supposed to take place every five years, wherein employees can vote and elect two recognised service associations to the governing and administration councils of these two premier bodies. The elected service associations would then be qualified and authorised to participate in the JCM for a period of five years. The last verification process took place in 2014, and there has been no attempt to reconstitute such a process in the past 9 years. As a result, there currently exists no suitable negotiation forum to raise a number of legitimate and pending issues relating to employees' welfare, working conditions, and benefits. This has naturally had an adverse effect on the morale of employees, who feel disenfranchised by the lack of a consultative platform to air their grievances. I, therefore, urge the hon. Minister to reconstitute the process of JCM within ISRO and the Department of Science.

(ends)

Re: Plight of Paddy farmers in Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The suffering and agony of paddy farmers in Kuttanad region in particular and Kerala State in general need to be addressed and resolved immediately. The paddy farmers of Kerala are given their dues as bank loan by means of paddy receipt sheets by the State agency Supplyco and this impractical system has created untold miseries for paddy farmers and paddy receipt sheet system must be revoked and paddy farmers must be paid their dues directly in their bank accounts immediately after procurement of paddy. The Central Government must take immediate steps in releasing any funds that are in arrears for the State Government to disburse the arrears payout at the earliest. The compensation of Rs. 50 lakhs must be given to the families of farmers who have committed suicide for not receiving a bank loan due to adverse credit rating caused by the failure of State Government in repaying PRS dues on time which resulted in impacted CIBIL score of innocent farmers who were denied loans. The Government must also declare a moratorium on repayment of loans to be repaid by paddy farmers of Kerala State till such time the crisis of repayment of dues is settled. (ends)

(1430/SRG/SPS)

Re: Need to establish a National Cardamom Board

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The National Turmeric Board was established recently. However, a cash crop of great national importance, Cardamom is still under the Spices Board. Idukki is the district that contributes more than 70 per cent cardamom production of India. It is an important crop that is an integral part of many cuisines across the country and the world.

Cardamom cultivation is beset with many a challenges that require a holistic approach to solve. Both the backward linkage like assistance for cultivation and forward linkages like marketing support is required to ensure the growth of cardamom cultivation in the country. Cardamom cultivation and processing is a highly skilled agricultural enterprise that requires great research and extension support. The Spices Board is only marginally able to support this requirement. I urge upon the Government to take immediate action in this regard and establish a National Cardamom Board at the earliest.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Dr. D. Ravikumar ji – not present.

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray ji.

Re: Release of pending dues under MNREGA to West Bengal

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I would like to raise an important issue pertaining to West Bengal. Total Central dues towards West Bengal under MGNREGA currently stands at above Rs. 7,000 crore. The people of West Bengal feel sad that the Union Government is depriving us on this count. West Bengal Government appeals to the Union government to release the funds for payment under the 100-day job scheme and not deprive the poor people of their legitimate dues. Despite being deprived of the Central funds under the MGNREGA Scheme, the State Government had been able to create 10 lakh man-days, under which jobs have been provided to 10 lakh of job-card holders. As regards the housing scheme, both the Union and the State Governments have their shares of contribution under this scheme. Hence, I urge upon the Government to take urgent steps to release the pending dues of MGNREGA to West Bengal with immediate effect.

(ends)

(1435/RCP/YSH)

Re: Need to provide financial assistance to socially and economically backward students seeking higher education abroad

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): To help students from socially and economically backward classes (SC, ST, BC, and EBC) who wanted to pursue higher education abroad, the Andhra Pradesh Government's signature programme, the Jagananna Videshi Vidya Deevena Scheme, was established.

In accordance with this programme, Andhra Pradesh's Government covers the tuition for applicants who are accepted to one of the top 200 universities; it covers the entire cost of a student's tuition if they are admitted to one of the top 100 institutions in the globe, it also pays 50 per cent or Rs. 50 lakh of a student's tuition fees if they are accepted into one of the top 101 to 200 universities in the globe. While these processes have increased the number of students from socially and backward classes seeking higher education overseas, international education is still dominated by students from upper castes, as studying abroad requires a minimum of Rs. 20-25 lakh. Although there are numerous scholarship programmes and financial help schemes, it appears that the establishment of national-level funds solely dedicated to subsidize such students' expenses for higher education outside India is important. As a result, I request the Government to establish National-Level Funds to support Socially and Economically Backward Communities' educational advancement as a primary priority.

(ends)

Re: Need to provide additional land for rehabilitation of people of Navin Sheva Village and Hanuman Kolivada in Maval Parliamentary Constituency displaced due to acquisition of Sheva Village land by JNPT

श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मावल के अंतर्गत जे.एन.पी.टी. के निर्माण के लिए सन् 1985 में शेवा गांव की भूमि अधिग्रहित की गई है और शेवा गांव को दो गांवों में बांटकर नवीन शेवा गांव को 10 हेक्टेयर और हनुमान कोलीवाडा को (शेवा कोलीवाडा) 02 हेक्टेयर भूमि पर ट्रांसिट कैम्प के तौर पर उरण के नजदीक बसाया गया है। जे.एन.पी.टी. के निर्माण के लगभग 33 वर्षों के उपरांत नवीन शेवा गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 361 भूखंड 33.64 हेक्टेयर भूमि देकर बसाना है और हनुमान कोलीवाडा (शेवा कोलीवाडा) गांव के प्रकल्प बाधित नागरिकों को 256 भूखंड देकर 17.33 हेक्टेयर भूमि पर बसने का इंतजार है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से इन दोनों गांव, नवीन शेवा और हनुमान कोलीवाडा (शेवा कोलीवाडा) का पुनर्वसन समझौते के अनुसार अतिशीघ्र भूखंड देने की मांग करता हूँ।

(इति)

**Re: Need to create awareness regarding Ayushman
Bharat Yojana among eligible beneficiaries**

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य गरीब, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ परिवार अर्थात् लगभग 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिसमें 40 प्रतिशत लोग जनसंख्या के निचले पायदान से हैं, किंतु विडंबना यह है कि वही इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। जागरूकता के अभाव में या अनभिज्ञता के कारण भूलवश त्रुटि होने पर लाभार्थी ही नहीं माने जाते। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करने की बजाय अस्पताल उन्हें सेवाएं देने से मना कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इससे योजना के साथ-साथ सरकार में भी उनका विश्वास कमजोर होता जाता है। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों में योजना के प्रति जागरूकता लाई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका समुचित इलाज किया जाए और दस्तावेज या भूलवश त्रुटि, जिसमें सुधार संभव है, को इलाज न करने का कारण न बनने दिया जाए। ऐसा होने पर ही योजना की सफलता सुनिश्चित होगी। (इति)

(1440/PS/RAJ)

**Re: Need for expeditious release of funds for better implementation of Jal
Jeevan Mission**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

Access to tap water is a basic necessity of every household. To ensure universal access to tap water in rural areas till the year 2024, the Government had initiated the Jal Jeevan Mission. However, it is falling short of achieving its objectives within the said timeframe. Although the progress made under the scheme is acknowledged, the target of providing tap water connection to 19.36 crore rural households till the year 2024 seems a distant reality because only 55 per cent i.e., only 10.71 crore households have received a tap water connection as of now. About half of the target number has been achieved in four years since the scheme was launched in 2019. Keeping this in mind, the claims of the Government that rest of the target number can be achieved in just one year seems highly improbable. Though the Jal Jeevan Mission has received a hike in the 2023-24 Union Budget, it is only so useful as out of Rs. 60,000 crores allocated for the Mission in 2022-23, only Rs. 22,774.55 crores had been released to the eligible States/Union Territories till December, 2022. Therefore, what is needed is a better implementation of the scheme at the ground level and an expedited release of funds by the Centre so that universal access to tap water in rural areas can be made a reality in the near future.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL):

Shri Ritesh Pandey ji – Not present.

Now, Shri Shrinivas Dadasaheb Patil.

Re: Need to provide reservation benefits to Maratha Community and include Dhangar Community in the list of Scheduled Tribes

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): सभापति महोदय, छत्रपती शाहू महाराज ने अपनी रियासत कोल्हापुर में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरी में देश में सबसे पहले आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए पिछले कई वर्षों से मांग हो रही है। मराठा समाज शिक्षा और नौकरी में पिछड़ रहा है, उसे आरक्षण देने की अत्यंत आवश्यकता है। खेती करने वाला किसान, उसे मराठी में कुणबी कहते हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): पाटिल साहब, आपने कुछ दूसरा विषय दिया है।
...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय पाटिल जी, कृपया मेरी बात सुनिए।
...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने जो लिख कर दिया है। कृपया मेरी बात सुनिए।
...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बहुत वरिष्ठ माननीय सांसद हैं। जो लिख कर दिया हुआ है, उसे आप पढ़ें। आपको विषय परिवर्तन करना है।
...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पाटिल साहब, रिकॉर्ड में वही जाएगा, जो आपने लिख कर दिया है। आप इस विषय को शून्य प्रहर में उठा लेते।
...(व्यवधान)

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): कुणबी मराठा को OBC में आरक्षण मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का इतिहास देखा जाए तो किसान साल में से छह माह खेती करते थे और छह माह युद्ध पर जाते थे, उन्हें कुणबी कहा जाता था। महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर मराठा समाज को आरक्षण दिया जाये। महाराष्ट्र का धनगर समाज अनुसूचित जनजाति में आरक्षण मिलने के लिए कई वर्षों से मांग कर रहा है। धनगर चरवाहा समाज के लोग हैं। इस समाज के लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं। देवनागरी लिपि में मराठी और हिंदी लेखन का अपना-अपना अलग अंदाज है। मराठी में धनगर लिखते हैं और हिंदी में धनगड़ लिखते हैं। लेकिन ये सब एक ही जाति के लोग हैं।

(इति)

(1445/SMN/KN)

Re: Fixing of MSP for Cashew

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I wish to raise the issue of cashew crisis unfolding in my district, Srikakulam. Andhra Pradesh is one of the biggest exporters of cashews in India and Palasa in Srikakulam has more than one lakh acres of cashew cultivation managed by mostly small and marginal farmers. Cashew plantations start bearing fruit after three years of planting and require proper care to bear fruits. Farmers have borne rising expenses up to Rs. 30,000 annually whilst selling their produce for prices as low as Rs. 8000, barely earning even one-third of their expenses. Moreover, introducing cheaper cashew kernels from countries like Vietnam has further dropped the prices in the market, thereby compounding the losses suffered by local farmers. I urge upon the Government to step in and provide immediate relief to the over 30,000 farmers of Srikakulam by fixing an MSP for cashews after consulting local farmers. Furthermore, the Government must re-impose a five per cent import duty on foreign cashews to reinvigorate local cashew sales and set up a Cashew Board to supervise the implementation of such changes at the earliest to ease the burden of local farmers. (ends)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्रीमती नवनीत रवि राणा – उपस्थित नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय।

**Re: Need to provide rake point at Akbarpur Railway Junction in
Ambedkar Nagar Parliamentary Constituency**

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदय, अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 5 के किनारे मालगाड़ियों से माल उतारने की व्यवस्था पूर्व में थी। इस रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार होने के कारण यह रैक पॉइंट समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से अम्बेडकर नगर से रेलवे गाड़ी से माल लोड करने या उतारने की कोई सुविधा नहीं बची है। इसके कारण क्षेत्र के व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और किफ़ायती परिवहन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे आम जन को अपने माल का उचित दाम और बाज़ार भी नहीं मिल पा रहा है। अकबरपुर जंक्शन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए जनता आंदोलित और आक्रोशित है। मेरी माननीय रेल मंत्री से यह माँग है कि लोकसभा अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत अकबरपुर में विस्तारित प्लेटफार्म नंबर 7 के बगल बची रेलवे की शेष ज़मीन पर रेलवे रैक पॉइंट की उपलब्धता करवाई जाए ताकि पुनः माल का यातायात अम्बेडकर नगर ज़िले से सुनिश्चित हो।

(इति)

**Re: Need to establish a heliport under UDAN Scheme at Kapilavastu in
Uttar Pradesh**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका ध्यान बुद्ध के जन्मस्थल कपिलवस्तु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कपिलवस्तु बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से बौद्ध परिपथ (circuit) बनने से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही सरकार ने अपनी UDAN योजना में इस क्षेत्र को भी air connectivity से जोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप इन स्थलों को दुनियाभर के पर्यटक दर्शन कर रहे हैं। बौद्ध सर्किट, जिसमें कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ और श्रावस्ती शामिल हैं। ये स्थल वर्तमान में लगभग राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले विदेशी पर्यटकों का छह प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी स्थलों में हवाई संयोजन स्थापित किया गया है, लेकिन भगवान बुद्ध के जन्मस्थल कपिलवस्तु अभी भी हवाई संयोजन से वंचित है। बौद्ध पर्यटन के लिए समृद्धि हेतु कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे हम बौद्ध परिपथ की अभिगम्यता को बढ़ा सकें। मैं आपके द्वारा सरकार से बुद्ध के जन्मस्थल कपिलवस्तु में UDAN योजना के तहत Heliport स्थापित करने का निवेदन करता हूँ।
(इति)

(1450/VB/SM)

**Re: Establishment of Kendriya Vidyalaya in Amreli
Parliamentary Constituency**

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव के.वी.एस. संगठन की ओर से अनुमोदित है, परंतु अब तक Challenging Method Committee एवं Public Investment Board की मीटिंग न होने के कारण अब तक विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु मंत्रालय की ओर से अंतिम आदेश लंबित है, जिसके कारण विद्यालय के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी हो रही है। उक्त विलंब से विद्यार्थियों का पठन-पाठन कार्य प्रभावित न हो इसके लिए के.वी.एस. रीजनल कार्यालय द्वारा अमरेली में स्थित एक भवन में अस्थाई रूप से केंद्रीय विद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी के.वी.एस. मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उक्त दोनों कार्य की अंतिम मंजूरी हेतु Challenging Method Committee एवं Public Investment Board की मीटिंग अति आवश्यक है।

अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द Challenging Method Committee एवं Public Investment Board की मीटिंग बुलाई जाए, जिससे उक्त दोनों प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी प्राप्त हो सके और अमरेली में एक के.वी.एस. स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Shri Rajiv Pratap Rudy – Not Present.

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil.

Re: Sanctioning of a Multimodal Logistics Park in Jalgaon

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The Government has launched the National Logistics Policy which aims to cut logistics costs by half to be near global benchmarks by 2030 by reducing the cost of logistics from 14 to 18 per cent of GDP to global best practices of 8 per cent. This policy will benefit Maharashtra immensely and will also help in creating employment opportunities. The Government has also proposed a Multi-Modal Logistic Parks in my Parliamentary Constituency of Jalgaon which is well connected through a network of roadways and railways. Jalgaon has immense potential since it has multiple export units and food processing facilities due to large-scale production of crops, pulses, banana, grapes and lemon. Additionally, there is also ample availability of vacant Government land which can be utilised for setting up logistic park in Jalgaon. I request the Government to sanction a Multi-Modal Logistic Park in my Parliamentary Constituency of Jalgaon which will result in cutting down the transport cost, leading to reduction in costs of goods. This will, in turn, benefit industries and consumers and create employment opportunities for the people of Jalgaon and provide impetus to the economic development and overall growth of Jalgaon. (ends)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sujay Vikhe Patil – Not present.

Shri Mitesh Patel.

(1455/PC/RP)

Re: Need to promote cultivation and production of millets in the country

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

महोदय, मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रीअन्न नाम देकर भारत सरकार आम लोगों तक इसे पहुंचाने का अभियान चला रही है। इस दौरान सभी मंत्रालयों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें इस पूरी मुहिम को और रफ्तार देने के लिए भी कहा गया है। श्रीअन्न के उपयोग को बढ़ावा देना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है। इसके उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना एवं किसानों को इसके लिए आसान बाजार उपलब्ध करना, जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रयास जारी है।

महोदय, मेरी सरकार से विनती है कि श्रीअन्न जो कि गेहूं और धान की अपेक्षा कम पानी, लागत और मेहनत से उपजाया जा सकता है, जिसमें बदलते जलवायु के कारण सूखे में भी उत्पादन की बढ़िया संभावना है, उससे किसान दूर क्यों होता गया, इस बारे में पूरे देश के किसानों के बीच सर्वेक्षण करवाएं। इसके उत्पादन में कठिनाइयां एवं उत्पादन उचित होने पर भी इससे किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में पूर्व की सरकारों के नकारात्मक दृष्टिकोण से किसानों की उदासीनता को उत्साह में बदलने हेतु कदम उठाएं, जिससे श्रीअन्न भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन सके। (इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : श्री डी. रविकुमार जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती नवनीत रवि राणा जी – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आइटम नंबर 9 – अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023

माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

Advocates (Amendment) Bill

1457 Hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE,
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI
ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, as
passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, यह जो एडवोकेट (अमेंडमेंट) बिल है, मैं इसके बारे में पांच-दस मिनट में, इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ।

सर, यह आजादी से पहले इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, 1861 था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। इसका परपज था कि जो लीगल फ्रैटर्निटी है या लीगल प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो वकील लोग हैं, उनका कोई रेग्युलेशन हो, इसलिए, यह एक्ट बना। फिर 1879 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया, उसमें सेक्शन 36 है, जिसमें touts का जिक्र आता है। Touts का मतलब है ठगी करने वाला, कुछ गलत बात कहने वाला कि मैं वकील हूँ, लेकिन वह वकील होता ही नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के सब काम करता है, उनके लिए touts शब्द यूज हुआ है। ... (व्यवधान) इसको आप दलाली भी कह सकते हैं। इसके बाद 1920 में बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट बना। सर, आप तो इतिहास के बड़े जानकार हैं। आप चेयर पर विराजमान हैं। 1936 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट भी आया। जब देश आजाद हुआ, तो यह विचार आया कि देश की परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए और अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हैं, उनके अनुसार हमें क्यों चलना? हमारा लीगल प्रोफेशन भी एक नोबल प्रोफेशन है। इसके लिए लॉ कमीशन को एक मेनडेट दिया गया कि हम नई परिस्थितियों के अनुसार ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े रिफॉर्म्स करें। फिर ऑल इंडिया बार कमेटी भी बनी। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक कमेटी और बना दो, फिर 1953 में, जब यह कमेटी बनी और उसकी कुछ सिफारिशें आईं, उसके बाद एडवोकेट एक्ट, 1961 आया, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसका मूल परपज लीगल एजुकेशन को रेग्युलेट करने का रहा। इसमें बहुत से सुझाव आए कि क्या इसको रखना जरूरी है? इसमें एक सेक्शन 45(ए) है। वर्तमान में मैं जो बिल लेकर आया हूँ, वह

इसमें इनसर्ट करता है। उस समय touts को लेकर जो सेक्शन 36 था, उसके बारे में यह कहता है कि इसकी जरूरत है।

(1500/CS/NKL)

एक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 36 है, जो टाउट्स का जिक्र करता है, उसकी जरूरत है, ऐसा विषय आया। लोगों ने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए है कि न्यायालय परिसर में दलाली नहीं होनी चाहिए। महोदय, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में एक कमेटी बनी थी, जिसके लिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के कमेंट भी लिए गए थे। इसके साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सुझाव लिए गए। सभी ने यह बात मानी कि एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन तो हो, यह जरूरी है, लेकिन इसमें टाउट्स से संबंधित प्रावधान अवश्य रखे जाने चाहिए, क्योंकि न्यायालय परिसर में दलाली ठीक नहीं है। जो ठगी करते हैं या जो दलाल टाइप के लोग वहाँ आते हैं, यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): दलाली कहीं भी ठीक नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : दलाली कहीं भी ठीक नहीं है और इस समय तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है नरेन्द्र मोदी जी के कालखण्ड में।

माननीय सभापति : जी-जी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है। जब हर जगह साफ-सफाई का काम होना चाहिए तो न्यायालय परिसर भी साफ-सुथरा होना चाहिए। इसलिए मैं आपके समक्ष यह बिल लेकर आया हूँ। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 रिपील कर दिया गया है, क्योंकि यह कोलोनियल एक्ट है। इसमें मैं यह संशोधन लेकर आया हूँ, क्योंकि टाउट्स के संबंध में इसकी जरूरत है। इसमें एक कमेटी है, उसमें हाई कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, इवेन कलेक्टर भी उसमें हैं। वे यह देखेंगे कि यह आदमी बार-बार कोर्ट परिसर में घूम रहा है, यह ठगी का काम करता है, तो ऐसे लोगों की वे एक लिस्ट बना देंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसमें मदद करेगा। उस लिस्ट को न्यायालय परिसर में चरपा कर देंगे। लिस्ट में नाम चरपा होने के बाद भी अगर वह न्यायालय परिसर में पाया जाता है तो उसे तीन माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मैं इसमें एक यह छोटा सा अमेंडमेंट लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे लगता है कि सदन इस पर सार्थक चर्चा करके इसको सर्वसम्मति से पास करेगा। जो चर्चा होगी, उसके बाद जैसा आदेश आप मुझे करेंगे, मैं जवाब देने के लिए फिर आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

1502 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, intermediation is a part of our Indian culture. Sometimes, people want an intermediary between them and whoever they are dealing with. It is a normal part of our culture. We also have intermediation in marriage alliances. Sometimes, in rural areas and in other parts of the country, people need intermediation even to reach out to people in authority and power. There is intermediation even in political parties; we know that. By and large, we welcome this Bill. Let me be very clear about that.

Sir, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what Martin Luther King said. The right to seek justice is a fundamental right to our existence as a civil society. But because of the asymmetry in our society, in terms of education, access to people in authority, wealth, etc., an average person sometimes does not know how to navigate through the legal system. This is what is being exploited, and some people step in as touts to tell them who to engage and also tell them that if you engage this lawyer, this will work. Because of this asymmetry and the complexity of dealing with our legal system, touts thrive. So, these intermediaries thrive. In fact, there is a funny joke which I would like to say, and I hope that the lawyers do not get offended. As I myself am a lawyer, my parents are lawyers, and I come from a family of lawyers, I say this with full responsibility. The joke is that good lawyers know the law but great lawyers know the Judge. So, when that is the system, when an uneducated person has to come to court, it is quite natural that somebody has to intercede to help them navigate and connect with a right lawyer. This is what is happening everywhere. Because of this, many people flourish. Sir, my only quibble with this Bill is that it is targeting the tout in the small courts, the real small tout. In fact, in Tamil Nadu, there is a person whose name I do not want to mention but anybody from the legal fraternity in Tamil Nadu will completely know who I am referring to. Let us call him 'Judicial X'. His speciality is to take temple *prasad* to every single Judge and to be photographed.

(1505/MMN/IND)

People say he can get the matter listed before a particular judge. Now the grapevine is that he can even appoint judges to the court. In fact, I would urge the Government to focus on these big fish instead of the small touts who are all operating only in the smaller courts. I agree there is a nexus between the touts and the lawyers, which must be broken. There is a nexus among the touts, the lawyers and the court staff because that is how the matters will come. Otherwise, the matters would not get listed. The worst is the nexus among the tout, the lawyer, the court staff and the judge. This definitely must go. So, we welcome this Bill. This Bill must make all efforts to break this nexus, penalise and punish people who are interfering in the justice system.

But the only fear I have is that this might be misused also. I am not going to particularly blame this Government. This Government is very famous for weaponizing the law. We all know what they have done with the ED. We all know what they have done with the PMLA. There, the original purpose of the law is something different but they completely misused it, weaponised it, and targeted people. They should not use this law and debar somebody who is a public interest litigant or who is an anti-establishment figure in the lower courts by branding him as a tout and disenfranchise him because a lawyer can also be a tout.

So, by and large, we definitely welcome this Bill but they should not use this as a weapon to disenfranchise and to debar legitimate anti-establishment lawyers in the lower courts. They must really focus on these big fish like the 'Judicial X' whom I have named. They must really target them and use this law to go after them, and not go after others.

So, by and large, we welcome the Bill. We welcome the amendments you have brought about. But I hope you apply it fairly, implement it without any kind of discrimination, and it is not used in a weaponised manner in which you normally use other things. Thank you very much, Sir.

(ends)

1508 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने सरकार द्वारा लाए गए बिल पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। हमारे प्रतिपक्ष के साथी श्री चिदम्बरम जी ने इस बिल का स्वागत किया है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि बड़े दलालों को पकड़ना चाहिए और छोटे दलालों को छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि दलाल तो दलाल है, जो एक्सप्लॉयटेशन करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। हमारी सरकार सभी दलालों के लिए यह बिल लाई है और हमारी सरकार केवल सड़कों पर या समाज में ही सफाई नहीं करती है, बल्कि न्यायालय में भी सफाई और स्वच्छता आ जाए, इसके लिए भी काम करती है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। आज वह जमाना नहीं रहा जब कोई किसी वकील के प्रोफाइल को न जानता हो। आज नेट के समय में चाहे वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, तहसील कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, सभी की प्रोफाइल को हर कोई जान सकता है। पहले आप लाइब्रेरी में जाते, लॉ केसेज के बारे में पढ़ते, बार काउंसिल में जाते या किसी कोर्ट में जाते, लेकिन आप आज घर बैठकर ही किसी भी वकील के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी केवल शहरों तक सीमित नहीं है, आज गांव-गांव की महिलाएं भी अपनी डीबीटी चला रही हैं और सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का वातावरण देश में बना है।

सभापति जी, यदि हम हिस्ट्री देखें, तो वर्ष 1861 से हमें देखनी चाहिए। जब देश आजाद नहीं था, तब किस तरह से लीगल प्रोफेशन को या लीगल पेटिशनर को रेग्यूलेट किया जाए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहला हाईकोर्ट एक्ट, 1861 लीगल प्रोफेशन या लीगल पेटिशनर के लिए बना। उसके बाद लीगल पेटिशनर एक्ट 1879 में आया। आज 1879 के एक्ट को अमेंड किया जा रहा है।

(1510/RV/VR)

मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने लाल किले से कहा कि देश आजाद हो गया है, लेकिन जो कोलोनियल लिगेसी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उसे समाप्त करेंगे। आज जब अमित शाह जी सीआरपीसी और आईपीसी में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, तो वे यह क्यों लेकर आ रहे हैं? इसे हमारे सभी विद्वान वकील जानते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसे उन्होंने दंड देने के लिए बनाया था और अमित शाह जी जो अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, वे न्याय देने के लिए हैं। इसलिए विपक्ष के लोगों को कम से कम दंड और न्याय में फर्क को जानना चाहिए। अंग्रेज किस तरह से लोगों को दबाना चाहते थे, किस तरह से लोगों को पनिश करना चाहते थे... (व्यवधान)

कल्याण जी, आप सुन लीजिए। आपकी बारी आएगी, आप चिंता न कीजिए... (व्यवधान) लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 आया, जिसके सेक्शन-36 का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि उस सेक्शन-36 को ठीक करना हमारा कमिटमेंट है। यह कमिटमेंट हमारी सरकार का है, देश के प्रधान मंत्री जी का है। वह कमिटमेंट है कि कोलोनियल लिगेसी के जितने कानून होंगे या जो चीजें

होंगी, उसे समाप्त करेंगे। इसको माननीय प्रधान मंत्री ने पंच प्रण में शामिल किया था। उन्होंने लाल किले से पाँच प्रण लिए थे, उसमें यह भी कहा था कि हम ब्रिटिश की गुलामी या दासता की विरासत को न केवल समाप्त करेंगे, बल्कि उसे ऑब्सोलीट कर देंगे।... (व्यवधान)

You must have patience to listen to me. I hope everything will be clear.
....(Interruptions) Please talk to the Chair.

मैं लीगल टर्मिनोलॉजी पर बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत तो कोई आक्षेप नहीं किया, मैं तो केवल अपने इस अमेंडमेंट बिल पर बात कर रहा हूँ। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी का बस नाम लेने से उन्हें चिढ़ हो रही है तो देश की जनता ने प्रधान मंत्री जी को, उनकी गारंटी को मान लिया है। अब ये कितना भी चिढ़ते रहें, जिस तरीके से तीनों राज्यों में परिणाम आए हैं, अब इनको सोचना चाहिए। इनके नेता का क्या बयान है? नेता जी कहते हैं कि यह भाजपा की जीत नहीं है, यह मोदी जी की जीत है। मैं अधीर रंजन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यह भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी के नेतृत्व में है, उसकी जीत है। इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा।... (व्यवधान)

अधीर रंजन जी, आपने इस बात को एक चैनल पर कहा है। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बात कह दीजिएगा।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सरा... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्यगण, जब आपको बोलने का समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात कह दीजिएगा। इसका भी उल्लेख कर दीजिएगा। अभी बैठ जाइए। जिनके नाम लिए गए हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं पंच प्रण की बात कह रहा हूँ।... (व्यवधान) पंच प्रण में उन्होंने कहा कि all these Acts are part of the colonial legacy.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You should not intervene like this.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Modi ji, in his speech on 'Panch Pran' from Red Fort talked about giving up the colonial legacy. इसको समाप्त करने का फैसला किया है। आज उसका अमेंडमेंट लेकर आए हैं। मैं अपने लॉ मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोलोनियल लिगेसी को खत्म करने का काम किया है। हम उसी को ऑब्सोलीट कर रहे हैं, जिन्हें आप वेलकम कर रहे हैं। हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 है, इस एक्ट को एबॉलिश करने में अगर कोई 'डिफरेंस ऑफ ओपीनियन' हो, तो उस पर भी सदन चर्चा करे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि सदन में सुचारू रूप से कार्यवाही चल रही है।

अभी चिदम्बरम जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। He said that good lawyer knows the law, and great lawyer knows the judge. आप तो उस फैमिली के हैं तो आपको क्या कहूँ? हम तो आपको ग्रेट लॉयर मानते हैं। क्या आप जज को जानते हैं या आप एक गुड लॉयर हैं? मुझे लगता है कि सभी लॉयर्स कानून को जानते हैं और इसमें डिफरेंशिएट करना और यह कहना

कि हम केवल जज से न्याय लेते हैं, यह निश्चित तौर पर किसी वकील का अपमान होगा। This Act abolishes the Legal Practitioners Act of 1879, the Act that dates back to 144 years. उसके बाद बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, 1920 आया। फिर उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट, 1926 आया। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि हाई कोर्ट एक्ट, 1861 में क्या-क्या प्रावधान थे, जो अगर आज लोगों के ऊपर लगेगा तो उन्हें एक तरह से यह लगेगा कि यह गुलामी या दासता का प्रतीक था।

(1515/GG/SAN)

चाहे लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1879 रहा हो, या बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट, 1920 रहा हो या इंडियन बार काउंसिल एक्ट, 1926 रहा हो, तो आज आप यह बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ था, तब क्या था? आज तो लोग जाति की राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति में सांप्रदायिकता करते हैं। उस आधार पर प्रत्याशियों को खोज कर टिकट देते हैं। देश में पहले, इन सदनों में आने वाले लोग, प्रायः लॉ बैकग्राउण्ड से ही थे। चाहे डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी को मान लीजिए, चाहे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी को मान लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मान लीजिए। ये कितनी बड़ी-बड़ी पर्सनेलिटीज़ थीं। इस तरीके से जो लोग उस समय लीगल प्रेक्टिशनर्स थे, उनको यह महसूस हुआ कि हमें कोई न कोई एक एक्ट ऐसा बनाना चाहिए, जिससे ऐसा काम हो। उसी के नाते एक एडवोकेट्स एक्ट, 1961 देश में आज़ादी के बाद बना क्योंकि इस बात को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महसूस किया था। इस तरह से यह टाइम के साथ हुआ था। जब समय कालांतर में बीतता रहा और जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के हीरोज़ थे, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों की एक लंबी श्रृंखला है, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके बाद उन लोगों ने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी के बाद, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को – लॉ कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आदि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया गया और उसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव टाइप का एक्ट – एडवोकेट्स एक्ट, 1961 बनाना तय हुआ। आज हम इस लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को ऑबस्लीट कर रहे हैं। केवल इसका जो एक सैक्शन था, लिस्ट ऑफ टाउट्स, मैं समझता हूँ कि उसी को ऑबस्लीट नहीं किया कि हम अभी भी देश की आज़ादी के बाद लिस्ट ऑफ टाउट्स के लिए कोई एक्ट न बनाएं, कोई कानूनी प्रावधान न दें। अभी भी गांव का गरीब आदमी अगर अपने कानूनी अधिकार पाने के लिए आए और अगर वह बीच में, उन कचहरियों में, कोर्ट्स में उन टाउट्स या दलालों के चंगुल में फंस जाए, जिस तरीके से आज देखते हैं कि लोग रेलवे या बस स्टेशनों पर उतरते हैं या कहीं कोई मरीज़ आता है तो किस तरह से उस स्थिति में भी वे टाउट्स उनके पीछे लगे रहते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में चलिए, आप इस डॉक्टर के पास चलिए तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से न्याय, जो सबसे बड़ी न्यायिक प्रक्रिया है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय केवल मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह प्रतीत भी होना चाहिए कि लोगों को न्याय मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने देश में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया, आज वही स्वच्छता अभियान अगर न्यायिक प्रक्रिया में शुरू हो रहा है, मैं तो पूरे सदन से अपील करूंगा कि सर्वसम्मति से इसका

स्वागत करके इसे पास करना चाहिए। आप देखिए कि इसके पहले भी हमने रिमूव किया है। जब हम जनविश्वास बिल ले कर आए थे, तब उसमें भी 183 प्रावधान थे। In that Bill, there were 183 provisions covering 42 Acts of 19 Ministries. उस मामले में देश ने तो शायद इतिहास बनाने का काम किया है। आप सौभाग्यशाली एवं साक्षी बने थे। आप उस कॉलोनियल लिगेसी को समाप्त करने के साक्षी हैं कि 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट्स ऐसे थे, जिनमें केवल ब्रिटिशर्स की दासता को परिलक्षित करना था और उन्होंने अपने इंटरैस्ट में वे एक्ट्स बनाए थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट्स के सारे 183 प्रावधानों को ऑबस्लीट कर के देश की न्यायिक व्यवस्था में एक स्वच्छता देने का काम किया है। मुझे लगता है कि यह बात तो उसी दिशा में और आगे की पहल करती है।

आज जो बिल लाया गया है, उससे निश्चित तौर से एक फायदा तो जरूर होगा। This is not a single legislation; this is a part of comprehensive mission of the Government to remove all the obsolete laws in this country. मान्यवर, यह तो क्लैरिटी है कि हम इस देश में जो भी हमारे एक्ट्स में हैं, सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी ऑबस्लीट लॉज़ हैं, उनको हम रिमूव करेंगे।

आज मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो अमेण्डमेंट बिल है, यह कोर्ट में, उस न्यायिक प्रक्रिया में सुचिता और पवित्रता का काम करेगा या जिस तरीके से, removal of touts from the court premises करेगा और इसका अधिकार किसको होगा? सरकार को इसका अधिकार नहीं होगा।

(1520/MY/SNT)

उस प्रेमाइसेस में टाउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन टाउट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए जो मिशन है, जो पावर दिया गया है, वह सुप्रीम कोर्ट के जज को है, हाई कोर्ट के जज को है। यह साफ है कि की-फीचर्स ऑफ दी बिल इंकलूड है। The Bill provides that every High Court, district judge, sessions judge, district magistrate, and revenue officer not below the rank of District Collector, यह नहीं है कि कोई ऐसे आईएस जो जूनियर हों, वह आईएस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, who is responsible for looking after all the revenue cases and revenue affairs, he can exercise this power या तो हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट जज होगा, यह अधिकार न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों को दिया गया है। यह कोई एक्जिक्यूटिव पावर नहीं है। यह कोई सरकार या प्रशासन के अधिकार में नहीं आ रहा है कि हम किसी को टाउट बना देंगे या किसी के खिलाफ आइडेंटिफाई करके उसको पीनलाइज़ कर देंगे। यह अधिकार हमने सीधे-सीधे हाई कोर्ट के जजेज को दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज को दिया है, सेशन जज को दिया है और रेवेन्यू में जो मुकदमें देखते हैं, उनको दिया है।

मैं समझता हूँ कि tout refers to a person who procures the employment of a legal practitioner in a legal business in return of any payment - यह तो साफ है - and frequents places such as the premises of civil or criminal courts, revenue offices or railway stations to procure such employment. इस तरीके से घूमकर जिन गरीब लोगों

का शोषण किया जाता है, मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून केवल एक जगह लागू नहीं होगा, बल्कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और नीचे के कोर्ट में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया और इस कानून में अमेंडमेंट होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया की लिए जो स्वच्छता आएगा, वह देश के लिए ऐतिहासिक वरदान साबित होगा।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि The Court or judge may exclude from the premises of the Court any person whose name is included in the list of touts. आप प्रिपरेशन ऑफ दी लिस्ट देखिए कि क्या है? The authorities empowered to frame and publish the list of touts may order subordinate courts to hold an inquiry into the conduct of persons. ऐसा नहीं है कि किसी इनोसेंट या साधारण आदमी को भी इस तरीके से कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रॉपर इन्क्वायरी होगी। Courts to hold an inquiry into the conduct of a person alleged or suspected to be touts. जिसके बारे में ऐसा होगा कि वह कोर्ट में लगातार है और टाउट्स की भूमिका निभा रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, लोगों के लिए दलाली का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को उनके कंडक्ट की इन्क्वायरी होगी और तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। Once such a person is proven to be a tout, his name may be included by the authority in the list of touts. No person will be included in such lists without getting an opportunity of showing cause against his inclusion. ऐसा भी नहीं है कि किसी का नाम डाला जा सकता है। पेनाल्टी साफ है, Any person who acts as a tout while his name is included in the list of touts will be punished with imprisonment up to three months, a fine up to Rs. 500, or both.

मान्यवर, इस तरह से आज हम पहली बार उस एक्ट को आब्सलीट कर रहे हैं। उस एक्ट को आब्सलीट करने के बाद जिस तरीके काम हो रहा है, पहले के कैसे वकील थे, आपको याद होगा, मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ। अभी कल्याण जी बात कर रहे थे। महर्षि अरविंद का केस हुआ था। उस समय खुद सी.आर. दास जी ने अपनी सर्विसेज उनको दिया था। यदि हमारे अधिवक्ताओं के इतिहास को देखा जाए तो शायद वह स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं ले जाने की जरूरत है। महर्षि अरविंद के खिलाफ केस हुआ, उसमें वह नहीं थे। इसके बावजूद सी.आर. दास जैसे एडवोकेट्स ने उनको जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी, उनके लिए काम किया। आज हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास अपने-आप में बहुत बड़ा है। इससे एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनेगा, जिसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, जो इस एक्ट से रेगुलेट करेगा, इस देश में जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है, उसको करेगा। यह बिल जो पीनलाइजिंग है, वह प्रैक्टिस ऑफ टाउटिंग अण्डर दी एडवोकेट्स एक्ट है। एडवोकेट्स एक्ट के नाम के अंतर्गत अगर वे कोई टाउट करते हैं या इस तरीके का काम करते हैं तो यह केवल उन्हीं के लिए है। आप देखें कि इस बिल को कितनी चर्चा करके लाया गया है। This legislation was also recommended by the Law Commission of India.

(1525/CP/AK)

लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 249वीं रिपोर्ट में देखा जाए, in its 249th Report titled 'Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal'. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में भी एक तरह से सरकार को रिकमेंड किया है कि इसको आब्सलीट किया जाए और इसमें इमीडिएट रिपील करने की एक अपेक्षा की गई है। सरकार उसी के अनुरूप इस बिल को लेकर आ रही है। इस कानून को लाने के पहले इस सरकार ने इस बिल पर सभी जो वैरियस स्टेकहोल्डर्स हैं, जो लीगल प्रोफेशन में लगे हैं, उनसे बात की है। इंडिया का सबसे लीगल प्रोफेशन कौन है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और बार काउंसिल उनकी सबसे बड़ी आर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस अमेंडमेंट को अपने आप लाने का काम किया है। जो लोग या संस्थाएं सीधे तौर से देश की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले अधिवक्ता हैं, जो न्याय की प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले कोर्ट्स में वकील हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी हमारी सरकार ने एक कांफ्रिहेंसिव बिल बनाने के लिए कंसल्ट किया। इस कंसल्टेशन के बाद इसे शामिल करने की बात आई कि *touting in the legal profession is against the spirit of the profession*. स्वयं अधिवक्ताओं ने माना है कि न्याय दिलाने की जो भावना है, जो हमारे प्रोफेशन की भावना है कि हम किसी पीड़ित को न्याय दिला सकें। अधिवक्ता का काम पीड़ित को न्याय दिलाने का है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वर्ष 1961 का जो अमेंडमेंट है, उस एक्ट में हम केवल सैक्शन-36 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि सैक्शन-30 जो लिस्ट ऑफ दी टाउट्स है, उसको एनालाइज करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया की स्वच्छता के लिए इसमें जोड़ रहे हैं। यह बिल रिपील कर रहा है, कुछ certain Sections related to touts under the Legal Practitioners Act, 1879 है, जिसे हमारे मंत्री लेकर आब्सलीट करने के लिए लेकर आ रहे हैं और उसके एक सैक्शन 36 को इसमें जोड़ने के लिए इसे लाए हैं।

Now, the 1961 Act consolidates the law related to legal practitioners and constitutes Bar Councils and the All-India Bar Council. मुझे लगता है कि आज सदन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और पूरा देश इस बात का साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा कि पूरे देश में छोटे कोर्ट से लेकर, तहसील, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेकर, सेशन जज के कोर्ट से लेकर, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से लेकर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी टाउट के, बिना किसी बिचौलिए के किया जाए। मैं अपील करूंगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें।

(इति)

1529 hours

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, thank you very much for the opportunity that has been offered to me to speak on this small Amendment.

Sir, when this Parliament discussed the 42nd Amendment -- the biggest controversial Amendment -- it was said that the legislative competence of the Parliament cannot be questioned in the court of law. This triggered the controversy. Ultimately, it was settled down later by virtue of the 44th Amendment.

(1530/UB/NK)

The legislative capacity of Parliament could not have been questioned in those days. Now, Parliament's capacity of legislation has become a mockery through this Bill. I do not know how this Bill was drafted without giving any due care for the legislative competency of this Parliament.

Ever since this BJP Government came into power, Parliament is being misused. Most of the State-subject laws were brought here for amendment encroaching the State power. Ultimately, the State autonomy and cooperative federalism became a laughing stock. It is a small Bill but I am not able to understand the way nationalism was put up everywhere even in the Advocates Act. The hon. Minister talks about colonial law. In 1879, the provision was there. You want to repeal it. But by way of repealing it, you are introducing the same section, importing the same section in the new law. What does it mean? Is it not the same colonial law? I am not able to understand the rationality of the Government behind this amendment.

Again, the simple reading of how a person can be listed as a tout, I quote: "The passing of a resolution declaring any person to be or not to be a tout by majority of the members present at the meeting...". Who are all the members of the Committee? Nothing is mentioned. Then, it says, "by evidence of general repute". Evidence must be tendered by a person who is having reputation in the society. It is all right. The next sentence is very dangerous -- "or otherwise". What happened to Article 356? A State Government can be dismissed 'On the recommendation of the Governor or otherwise'. The word 'otherwise' was used by the President when the Tamil Nadu Government was dismissed without the Governor's recommendation. It is such a dangerous provision for small

Advocates Act. You are putting the same 'otherwise' here. How is it going to be used or misused, nobody can say that.

Coming to the meaning of 'tout' – "who procures, in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner...". What does it mean? Money will go from the pocket of the advocate to the tout. This House many times has discussed corruption at length. The Prevention of Corruption Act has been periodically amended which says that not only the receiver, but the giver of the money is also a culprit under the Act and he has to be convicted. The tout is going to be eliminated and given imprisonment or penalty. Does it not mean that the person who is giving money is also liable to punishment? What type of justice are you rendering to A and B between whom the money is exchanged? So, the very purpose of the Prevention of Corruption Act itself is defeated here the way in which the Bill is drafted.

For the first time I have come across a Bill which has been submitted to Parliament, I may be correct or not, in which the objects and reasons were not at all given. For what purpose are you going to introduce this Amendment? I want to know whether the Bar Council of India is going to be consulted when a person is going to be listed as tout. What will be the role of the Bar Council? Sir, former Chief Justice of India, Justice Bharucha, a decade ago said in the open meeting on the eve of his retirement that 20 per cent of the judiciary has become corrupt. He made an open statement. The only problem for the litigant is that if a man is having case in a particular court, the judge will come under 20 per cent or 80 per cent. How would we know it? So, you want to keep the entire judicial system clean, but for a small matter, you are not able to draft a clear law to serve the purpose. What type of purpose is it going to serve? Nothing. Ignorance of law is not an excuse. That is a legal maxim. A person cannot claim that he did not know the law. What about the society? Still, 30 per cent of people are illiterate so far as law is concerned; 70 per cent of people are unaware of the legal system.

(1535/SRG/SK)

If you want to regularize the system of touts, frame some reasonable guidelines by permitting or not permitting them. A healthy discussion must be there in all the forums including the Bar Council of India. After the examination done by the Bar Council of India or Supreme Court Judges, a man has been

designated as Advocate on Record (AoR). A senior advocate designated by the High Court and Supreme Court cannot be Advocate on Record. ... (*Interruptions*) AoR is afraid; senior advocate is afraid. Who is approaching the senior advocate? Is it the litigant? No. It is AoR. The role of the Advocate on Record becomes quite similar to that of a tout as far as the senior advocate is concerned. So, a judicial system needs some middlemen to bypass every loophole in the judicial system. It is a question whether that must be eliminated or that may be regularized with a rational application. That is a question before this House. I think that this Bill is having no meaning at all because you are just mechanically transporting a section which is available in 1879 Act to the new Act without application of mind. My only question is this. What type of exercise has been done by the Government? What inference has been drawn from this 100-year old law? Is this provision essential or the provision is workable or has the practicality of the provision been applied? Nothing has been done by this Government. But you want to remove the corruption in the name of Narendra Modi starting from small Bill up to a big Bill. So, my only submission is this. Do not make this Parliament a laughing stock. Do not do the meaningless exercise for which the competency of the Parliament is undermined. So, re-visit the law, take back this law, draft carefully, try to re-visit, try to regularize, or try to make a system which is workable in the judicial system.

With these words, I conclude my speech.

(ends)

1537 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I want to draw the attention of hon. Law Minister, through you. The first question is, whether every category of touts in the field of law has been brought within the ambit of this Bill? Is it correct? Touts are everywhere, from the lower judiciary up to the Supreme Court. But through these types of Bills, practically you are identifying few persons who are in the subordinate courts or the district courts. Where is the real intention to identify the touts? I understand, and what Mr. Raja has just said, that this Bill is a replacement of the old provision of the Legal Practitioners Act. Nothing more than that. You are taking provisions from that colonial Bill. I have no difficulties, but when you are making an attempt to bring this Bill, what do you think? There are a number of touts. Sir, I will tell you one thing. It is very easy to identify touts among the poor. How many touts are there in the judiciary who are extremely sophisticated? Can you identify them? I understand the process you have started and I appreciate it, but the reality is that touts are everywhere. Sophisticated tout is there. Tout is there going to five star hotels, tout is there going to seven star hotels, tout is taking you to different places of the country.

(1540/RCP/KDS)

They are coming from very big universities. They are having Mercedes. You cannot identify those touts. That is exactly what I am telling. You are not bringing all types of touts. Today when the discussion is there, let the discussion go on; I know it will not be done now. Think in future about this.

Let me explain myself. What we know about this? We have laws. What are the laws? There is a statute law. There is a case law. These laws, statute law and case law, are known to everyone which are applicable in a court. All we proceed. There is another law which is called 'face law'. Face law is important for having an order from the higher judiciary, highest judiciary. That is the practical thing. For the face law, litigants have to spend lakhs and lakhs of rupees. You have to invest Rs.20 lakh. You have to engage a lawyer for Rs.20 lakh; you will get the order. Touts are everywhere. Who are the touts? That is the whole difficulty. Identification of a tout is necessary. It is very easy to identify a poor man. A lawyer is a tout. Bring a system, introduce a system to identify a real tout in the Judiciary, in the judicial system itself. What has been said is

correct. It is every day experience. Today, our Judiciary has become too much expensive. Unless you engage a very big face in the Supreme Court, you cannot have an order. Good money, good law, good justice: this is the practical thing in the country. That is going on. You identify them. I would request you to think where the real tout is. There is one grade of lawyers amongst whom some pose themselves that they can bring the judgement, they can bring the order from the highest court, they can bring the order from that Judge. Sitting in a five-star hotel, everything is settled. He is the main tout. Where is the procedure? How you are identifying him?

Since you have brought the Bill, I have got the chance to speak. I was thinking for decades together what is going on. I am a man of practical field. I am looking into these things. Regarding these types of touts, I will not say about all the Judges, but of course, very few Judges are there in our country having a very good relationship with them. In this dinner party, they will go. In their lunch party, they will go. In their marriage anniversary, they will go. We know everything. Everything is known. Someone speaks for two minutes and gets five-minutes face. Face law is very important in our country today to have an order, to get the justice. Who is getting that? Rich people are getting it, not the poor people. Can you think about this country's Judiciary today? Lakhs and lakhs of poor people are not getting justice. Their cases are pending before the Supreme Court decades after decades. But the Supreme Court is very much concerned whether there would be marriage of the same sex or not. Therefore, a Constitution Bench will see and they will go on hearing day in, day out. It is a peculiar thing. Problems of the sophisticated people, rich people would be entertained by the Supreme Court. I will tell you, whether the same sex marriage is to be done or not, regarding that, within three days a Bench has been constituted, matter has been heard, and everything has been done. Do you know that for long 27 years, a Seven-Judge Bench of the Supreme Court is not hearing one matter which really pertains to the poor agricultural worker of West Bengal?

(1545/PS/MK)

Can you imagine that? For whom does the Judiciary exist? Does the Judiciary exist for the purpose of resolving the problems of only the most sophisticated and rich people?

I will tell you about one incident. I am sorry for taking much of your time. This incident happened in the court of Justice Dattu, the former Chief Justice of India. I was present there at that time. I will not take the name of a very senior and famous lawyer. He wanted to mention a matter with regard to one industrialist before the court. I must say that the former Chief Justice of India, Justice H.L. Dattu said to the lawyer, 'Mr. so and so, I have a number of matters of poor workers and poor people of this country. I do not have time. Simply because you are appearing for the top industrialist, leaving aside everything, I have to take up your matter. I have had it.' But today's approach is different and peculiar. I am not taking any name. There are big corporates. There are big lawyers. Give it to big lawyers. Go and mention about it, and his matter will be taken up. What is happening in our country? Poor people are being ignored.

Hon. Chairperson, Sir, this phenomenon has been going on. The point is about identified touts and non-identified touts. You are trying to identify touts. But there are big arenas, places, fields, etc. where non-identified touts are there. Nobody will tell you. They are not taking tea in the street shops. They are taking tea in five-star hotels, and they are not identified there. How can you identify and remove a highly-paid lawyer-cum-tout? They accept it. Do not worry. Do not worry about Rs. 50 lakh. Get the order. The order is coming. If he is not there, engage someone else. That is because of face law. This is happening. Touts are there.

Now, I am coming to a very relevant question. Tout is there when a relative of any judge is in the field of a legal practice. Tout is there. Taking the name of the Judge, his relative is also holding out threats. It is appearing in the newspapers. I do not want to take the names. It is appearing in the newspapers. It is under investigation. Let it be investigated. Since I have got the chance, I just want to tell you one thing. Hon. Law Minister, I do not have any difficulty with regard to transfer. I want it. I wish for it. But what I really want is that there should be a policy. Unless a policy is there, transparency would not be there. You transfer anybody. I am not concerned with it. Give a policy. At least, 140 crore

people of this country will understand that this is a policy and, on that basis, transfers would be made. But what is happening today? You are picking up and transferring. Transfer all the judges whose relatives are practising in any High Court. Why are you transferring a Judge from the High Court to Supreme Court knowing very well that his relatives are practising in the Supreme Court itself?
(1550/SMN/SJN)

Why are they picking up the names? If I am unfit, if I am dishonest, if I am not fit for a court, then I am not fit for any other High Courts also. The point is very simple.

Then, comes the issue of tout. They say that tout will save. This is the problem that has to be addressed. Of course, I support this Bill but I am on a very larger issue to save the Indian Judiciary for future generations. I am almost at the fag end of my legal service, maybe for eight or ten years, I will be in this profession. But generations after me should not face the pain which I had faced and the things which I have seen. You know about the problem. I have told about it somewhere also.

You know why judges are saved. The Supreme Court and the High Court Judges can be criticized only when I am here. It is because of the privilege given by the Constitution. It is because of the existence of the contempt of court. No one can criticize about the judges' activities. Otherwise, they will be held up for contempt of court. The judges of our country are saved only because of the contempt of court. Do not think everyone is perfect and everyone is correct. There are so many persons. Earlier, I used to take it that it may be an aberration. Sorry, today, I do not take it. It has become a great disease of the Indian Judiciary and that disease has to be resolved.

I know you are having a limited power. I know that but this is the field and this is the place where I can tell my words, 'Let the highest court of this country take note of the contents which I have said'.

Thank you, Sir.

(ends)

1553 hours

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you Chairman Sir for giving me an opportunity to participate in this discussion of the Advocates (Amendment) Bill, 2023. There is nothing to oppose in this Bill. I fully support it. This is a welcome step.

Advocates are an important part of Judicial system. They are not only the officers of the Court but they also act as an important bridge between those who seek justice and those who are empowered under the law to give justice.

The amendments to the Advocates Act were long pending and bring about a critical reform in the justice delivery system of our country.

The importance of these amendments cannot be understated. While these amendments are important, questions can only be raised when the State agencies act against lawyers.

Secondly, the enforcement mechanisms will be required to implement this law. This is because while we want that so called “Munna-Bhai” lawyers are punished, procedures also need to be brought about to ensure that there is no unnecessary persecution of any genuine lawyer and through these amendments, the independence of Judiciary is not hindered.

One of the most crucial components of the justice delivery system in India is its human resource element which is the Advocate. Their role cannot be understated in the whole process. They act as a bridge between the aggrieved and the adjudication institution. They also play an important role in shaping our society and not to forget their role in assisting courts to arrive at several judgements protecting the environment.

(1555/SM/SPS)

In 2017, a two-year long verification drive by the Bar Council of India found that only 50 to 60 per cent of practising lawyers in India were genuine. This number was heavily reported in the Media. There needs to be a single public register for all the advocates across the country, which can be accessed by the public to cross verify the claims of educational qualifications of the advocates.

Advocacy may look like a very glamorous profession, but for those who are in the practice of law, it is far from the truth. The Advocates Act needs to be further amended to ensure that certain benefits of social security are also

extended to the junior advocates and to ensure that advocacy as a profession can retain the best talent. In this regard, there is no provision.

I would like to suggest to the hon. Law Minister to take steps to ensure that first generation advocates are also benefited from the targeted Government schemes for health, housing and other schemes so that they may be able to earn a respectful livelihood. Despite the importance attached to this profession, there are no concrete measures in place to ensure the social security of the advocates. Even a new lawyer in Delhi has to pay around Rs.15,000 as enrolment fee in Delhi Bar Council. Charging fees beyond what is prescribed under Section 24(1) (f) of the Advocates Act, 1961 violates the Right to Equality under Article 14 and denies opportunities to aspiring advocates. I may inform the hon. Law Minister that the poor advocates are not in a position to pay the enrolment fees. In this regard, the Central Government has to take some steps to provide minimum financial assistance to the rural advocates, particularly for constructing their houses, paying the enrolment fees etc. Our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy is giving Rs. 5000 per month to all the junior lawyers. For that, we should appreciate the Andhra Pradesh Government.

To strengthen this Amendment Act and also to implement the ideas of Dr. B.R. Ambedkar, the Union Government has to take steps to introduce All India Judicial Service, particularly for the appointment of judges in all the courts including Supreme Court. It will be impartial like IAS and IPS. It will render some service for the rural people. Otherwise, people will not be able to get justice from the courts. Therefore, I am requesting the hon. Minister to introduce All India Judicial Service in the country.

Regarding touts, in all the departments touts are there. It is not possible to eliminate them fully. The Union Government has to take steps to curb the tout system. Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

(ends)

(1600/RP/YSH)

1600 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. At the outset, I should make it very clear that the Bill is relating to advocates and it is not relating to functioning of courts or the High Courts or the Supreme Court. Our attempt while deliberating on this amendment Bill is to strengthen the advocates of our country and the system of jurisprudence in our country.

This Advocates (Amendment) Bill clearly mentions two things. One is to repeal all obsolete laws of Pre-Independence Act, not totally but which have lost their utility. This should be borne in mind. All the laws are not being abolished. Those laws which have lost their utility are being removed and the Government of India is doing this in consultation with the Bar Council of India. So, these two things have to be borne in mind when we are deliberating on this subject. We know the history of Indian High Courts, how they were formed by an enactment of British Parliament in 1861, and subsequently what development has taken place in between.

While going through the Bill, Sir, the definition of tout is also given: "A tout means a person who procures in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner, the employment of the legal practitioner in any legal business." This is the first part of the definition. But subsequently, in the second sub-para, it is mentioned: "The purpose of such procurement frequents the precincts of Civil or Criminal Courts or of revenue offices or railway stations, landing stages, lodging places, or other places of public resort." So, in that respect, it has been very clearly mentioned in the Bill that those touts who operate for lower courts need to be apprehended and named. Their names should be published so that they can be prosecuted. The impression of the Government or the earlier law was that touts do not exist in High Courts or in the Supreme Court. We should not presume that touts do exist. But my only humble suggestion is that a beginning is being made. It was there in the earlier enactment which is now getting incorporated in this amendment, the Advocates (Amendment) Act, through this Bill and the best part is that the previous law which was there, now one cohesive law is coming into existence. This was introduced and passed in Rajya Sabha last August. It amends the Advocates Act 1961. This Bill repeals certain Sections related to touts under the Legat

Practitioners Act 1879. The Bill provides that every High Court, District Court, Sessions Judge, District Magistrate, and Revenue Officer not below the rank of District Collector can frame and publish a list of touts. This Bill makes the act of tout punishable. Hence, cases can be filed against them and they can be apprehended.

There are two aspects on which I would like to deliberate. One is about the legal practitioners, the advocates. What needs to be done for them? The second is about Rule 45. That is relating to regulating legal education. That also needs to be looked into. That has not been addressed in this Bill. There is Rule 36 which imposes three primary restrictions on lawyers. Firstly, lawyers are not allowed to promote themselves directly or indirectly. Secondly, if the lawyers are involved in a case, they cannot advertise themselves in the Media, newspapers, and display their photo or make inspirational comments.

(1605/NKL/RAJ)

The question is this. Who is going to question the lawyers? Who is going to lodge a complaint of this type of dereliction of duty? Our expectation is that the Bar Council of India will take cognizance of it, deliberate on it, and take action on it. But are they doing that? During the last 20-30 years, since the inception of Bar Council of India, how many such cases have been deliberated by the Bar Council? Not a single complaint has been lodged. Or, has it been lodged and it has been lost over? In consultation with the Bar Council of India, the Government is repealing the Legal Practitioners Act, 1879. Now, the legal profession will be regulated by a single Act. It is their responsibility to have quality lawyers. Section 36 of the 1879 Act is incorporated in the Advocates Act 1961.

Here, I have to make some suggestions for the consideration of the Government. Reform is a continuous process, and it has to be done with the tune of time. There should be provisions for professional development of lawyers in the Advocates Act 1961. There is no such provision even today. How can an advocate enrich himself professionally? Technology has become pervasive now. There are many emerging frontiers of law. Law to regulate telecom sector, law on intellectual property rights, and Arbitration Act are some of them. Now, online dispute resolution has become a practice. Lawyers need to update with the latest development in the field of technology. Should we not bring in these aspects in our amendment? The aspect of how to make them more professional

is missing. I would suggest and the Government may consider that there should be a national electronic register for advocates. Anyone sitting anywhere in the country can find out who are the advocates. Why should they take the help of touts? Or, why should we presume that without a middleman, we cannot approach a lawyer? We do not have any such register.

The Law Commission, in its 184th Report had suggested that there should be a single database. This would be good to bring social welfare schemes for the lawyers also as there would be a single database of the whole country. There should be a digital interface between the advocates and the clients. This will eliminate the need for Section 45A in itself. Why do we need middlemen when we can have an electronic platform that can connect advocates and clients? I have a query also. Do we need intermediary that is being incorporated as Section 55 in the Advocates Act, after repealing Section 36? When we have digital interface, is this provision necessary?

Finally, I would come to the Advocates Protection Act. The States have enacted such law. The Minister of Environment, Forest and Climate Change is also present here in this House. Rajasthan has enacted that law. The present Law Minister is also from Rajasthan. Rajasthan has enacted a State law. I am not aware how that law is functioning and how much protection this Advocates Protection Law has given. ... (*Interruptions*) But I think, it is necessary to enact such law. At times, we also come across such news where lawyers are attacked, threatened or intimidated. Advocates need to practice fearlessly. After all, they are officers of the court.

(1610/MMN/KN)

They are important stakeholders in the administration of justice. I believe the suggestions given shall get the utmost attention of the Government.

The other part which I would like to mention is relating to regulating the academic or legal education. That needs to be strengthened. A large number of law colleges are being opened. But what is the quality of the lawyers? We all know that. The quality of the lawyers who are coming out from the law colleges is not only affecting the Bar but also affecting the Bench. But keeping that in mind, I think it is of greater need to look into these aspects also and to bring a comprehensive law in favour of the advocates and our advocacy system.

Thank you.

(ends)

1611 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here to speak on the Advocates (Amendment) Bill listed today.

Sir, Meghwal ji has been a colleague of all of us. He has been a pleasurable colleague for a long time. He is the colleague who brought in the Women's Reservation Bill. He is really lucky that he has brought in that Bill. Though it is not implemented, but in his legacy that he will leave behind, he will be known as one of the finest Ministers who has brought something which is very close to our hearts. I am not taking away the intent of this Bill which he has brought in.

I have only a few suggestions. I am not a lawyer. Most of the lawyers have spoken before me. But the intent of the Government, I am sure, is very clear about what they want to do. But I have a few suggestions and questions to ask them regarding the implementation of this Bill which is really a small Bill. But there are a few questions that I would like to ask the hon. Minister out of my lack of legal knowledge. He was asking what was a tout. Now, Mahtab ji has spoken about it and so also Shri Raja from the DMK. But I seek a clarification from the hon. Minister. About this, Mahtab ji has already read it out. He says that a tout is a person who procures in consideration of any remuneration. So, it is a one-sided thing. You see, in the Corruption Act, both the parties are considered to be making a mistake. Here you are only considering one party to it. So, should we not make it broader? We should make it 'whoever engages or whoever hires', both ways. I think the practice is wrong. So, why should only half the party be punished? So, if you are really trying to remove touting completely, why do you not include both the parties? This is my question. So, you could kindly clarify on that.

The other question from me is this. Who are the members present at every meeting? There is no clarity on it. In Section 45A, it is written, the explanation is, 'majority of the members present at the meeting'. Now, who will be the members? Who will decide what will happen at the meeting? Who will decide, with such a small thing, who is a tout and who will be taking the decision? There is no clarity about this.

This is like what Raja ji said. I am reiterating the point. But there are no objects in the Bill. It is probably a little lacking in drafting. It is a lawyers' Bill which has such a poor drafting, because, unfortunately, the Bill has to have its objectives. So, there is no objective in this Bill. So, what is the real reason of getting this Bill passed? Again, I am not taking you away from the intention of the Government. I am sure the intention is there. But when you are doing something for the lawyers, is it not that

drafting and implementation are most important? It is not just intent but life is beyond intent.

The other thing is about reforms about which Meghwal ji spoke. I have never dealt with lawyers in my whole life but in the last six months I am flooded with lawyers in my life, be it dealing with the Election Commission or the Supreme Court. There is a saying in Marathi. With your permission, I would like to say that. In Marathi, they say,

मराठी जैसा जो होशियार होता है न, वह कभी कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। मैं होशियार नहीं हूँ, अब मानना पड़ेगा कि मैं तो कोर्ट की सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ। There was no option. So, I had no option but to climb it. Clearly, when you go to a court, there are a lot of issues that are raised. The tout issue is also discussed but my whole point is, there are a lot of reforms required in the court. Justice delayed is justice denied. I do not want to go to that point. I know that is not in the purview of the Bill. But one major point is, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is what Martin Luther King had said. So, I think this has a very broader role. We really need to expand the object of this Bill. Whenever we get to meet young lawyers anywhere, they complain of one thing. You go to the States. It is like somebody from the YSR Congress, Jagan Mohan Reddy ji's Party, said that they are giving Rs.5,000 a month to young lawyers.

(1615/VR/VB)

In Kerala, they give Rs.2000. So, is there something to engage all these youngsters who are studying very hard to pass it? Is there any social program this Government has in mind, like most States are doing? That is my first question to this Government. Then, I want to reiterate the point about technology upgrade. I think with technology many things are happening now. Is the entire game for lawyers going to be changed in the next few years? How do they skill themselves better? I mean, this whole thing about colonialization is being discussed. It is a past – good or bad – I think it has not been that bad on it. So, let us not just criticize our history. The way forward is change, and change is inevitable in everybody's life, and that is what policies also do. Policies also will have to change with time. Look at the life today. Look at something like artificial intelligence. This is something we did not even expect. We did not even expect a mobile phone about 10 years ago in our life, which has changed our life. So, every profession is changing, and so are the lawyers. Is there something this Government has in mind for technology upgrade of all the lawyers?

The Advocates (Protection) Act which Mahtab ji talked about, I would like to take it a little forward. Many Governments all over the country are not just talking

about advocates but are even talking about the safety and security of doctors and Press because I do realize that we all must put our minds together in this Government and in Parliament that there is somehow much anger in society nowadays. I do not know where this anger is coming from. Even in Maharashtra, we are having a lot of challenges in this regard. I am not trying to digress but I am just giving a small example. Please do not misunderstand what I am saying. There are a lot of agitations going on in Maharashtra today on reservations, be it Maratha, Lingayat, Muslim, etc. A lot of stone pelting is suddenly happening. So, there is clearly some anger breeding somewhere. You hear doctors getting beaten up, you hear threats like Mahtab ji said about lawyers, there are Press people who are getting beaten up. So, there is something missing somewhere. I think this House, the Parliament needs to discuss all the social issues because our intent is of changing people's life for the better. That is why we get elected and come here. At policy level, the intent of the Government to bring in to removing of the touts is a very welcome step.

The only thing when I was hearing about touting, आपको भी याद होगा, उस समय मल्टी-प्लेक्सेज तो थे नहीं, तो टाउट्स खड़े होकर सिनेमा के टिकट्स बेचते थे। 10 रुपए का टिकट 100 रुपए में मिलता था। उस समय आई-पैड वगैरह नहीं था। That whole touting business is over because first-day-first-show life is over. So, technology does evolve life. It will probably eventually do remove touts. But till then, can we do something better, simpler, positive? Like Meghwal ji and Raja ji said, I would like to reiterate their point, that why not bring a comprehensive Bill? Bring it, we can put it into the Law Ministry. The Law Minister is a very fine Minister. He is very supportive to all the demands of women that he did for us in the Woman's Reservation Bill. I would request him to take this back, and let us take all the points suggested by all the renowned lawyers in the House, bring a more comprehensive Bill, take all the feedback, maybe send it to a Standing Committee, there are good lawyers who can help make it better. I think even the Environment Minister is also a lawyer, if I am not wrong. Maybe there would be some feedback from him as a lawyer. Have a more comprehensive Bill in the larger interest of the advocates in this country. Thank you, Sir.

(ends)

1619 hours

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023.

Sir, let me begin by quoting Mahatma Gandhi, who himself was a lawyer and an ardent champion of justice. "An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more so", states Gandhi ji. The quote means that any law must be aimed at delivering justice, and addressing the grievances, and if a law is unjust, arresting someone on the basis of that law is a form of violence. So, the law has to be just to itself first, is the context of the Bill and my speech.

(1620/SAN/PC)

The Bill titled Advocates (Amendment) Bill, 2023 is aiming at the insertion of a new section, which is Section 45(A) in Section 45 of the Advocates Act, 1961, which grants power to frame and publish list of touts to every High Court, District Judge, Sessions Judge, District Magistrate and every Revenue Officer not being below the rank of a Collector of a district (each as regards their or his own court or the courts, if any, subordinate thereto). I have certain observations and recommendations in this regard which are as follows. As per the law, the authorities empowered to frame and publish a list of touts as provided under Section 45A should be confined to only judicial authorities and not executive Magistrates. If the District Magistrates are given such power to frame rules, we cannot ensure transparency in finding out actual touts as defined under Section 45(7)(d) of the Amendment Bill. Similarly, the offence under the Amendment Bill as provided under Section 45(6) may be a cognizable offence and the penalty should be enhanced to a minimum imprisonment of one year and fine to at least Rs. 10,000. Or else, no purpose would be served. Apart from these suggestions, Hon. Chairperson, Sir, through you, I would like to ask the Government who is a tout and what benchmarks they will use to identify a person as a tout. It is absolutely agreed that touts are a menace to the courts, and the justice system, but what about people who would be implicated as touts, where an excessive power is given to the courts? Any innocent person could be branded as a tout and that will be a dangerous situation. The question here is that we live in a highly polarised nation, divided by hatred, intolerance and discrimination. In this scenario, if excessive powers are given to the officers of

the court to determine a tout, anyone could be expelled and stopped from coming to the court premises. For example, a Dalit could be branded as a tout, just because he is a Dalit, by an officer belonging to an upper caste who harbours a discriminatory behaviour towards Dalits or other communities.

Another aspect is that the Amendment Bill does not take into account any standard procedure for fixing the modes of appeal, for a person branded as a tout, other than a simple appeal. This mechanism is problematic at many levels as the appeal system on many occasions is found to be biased. Therefore, I demand that the Appeal Committee must consist of representatives of SC/ST community so that communal representation is ensured. I hope, the hon. Minister will agree to my suggestion. I would also like to add that there are many issues concerning the legal system, including the reservation for SC and ST in appointment of judges in the higher courts, which has been a long-standing demand for many decades. I would like to appreciate the hon. Minister, Shri Arjun Meghwal ji, who has taken the charge of this Ministry. He always stands for and fights the cause of untouchable people. In the Law Ministry, during his tenure, he has to take so many actions for ensuring the representation of the SC/ST in the Indian judiciary. I also demand that the young advocates belonging to the SC/ST community must be given necessary stipend and financial support during their practice because as juniors, they are finding it difficult to survive in the present conditions.

Then, I would like to bring to the notice of the hon. Law Minister another important demand, that is, the demand for establishment of more benches of High Courts. In various States, there is a demand for the establishment of High Court benches. In Kerala also, there is a long pending demand to set up a High Court bench in Thiruvananthapuram. So, I would like to request the hon. Minister to consider this long pending demand of Kerala. Furthermore, I would like to conclude by saying that the amendment aiming to identify and expose touts must not become a tool for opposition of any individual and it must be implemented in a just and fair manner.

With these words, once again, I congratulate hon. Minister Shri Arjun Meghwal ji as the Law Minister of this country for having brought this important legislation.

Thank you very much.

(ends)

(1625/CS/SNT)

1625 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

1625 बजे

(श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इसको सर्वसम्मति से पास करें। मैं माननीय मेघवाल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बिल को लेकर आए हैं। इसमें दो आस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, वह 1879 का है। ऑलमोस्ट उसके सारे प्रावधान एडवोकेट्स एक्ट में ले लिए गए हैं और वे एडवोकेट्स एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। सिर्फ एक प्रावधान जो रहा है, वह टाउट्स का रहा है। उस प्रोविजन को, जो उसका सैक्शन 36 है, सिर्फ टाउट्स के लिए हमें लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को देखना पड़ता है। वह प्री-ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, कोलोनियल टाइम का बना हुआ है। हम टाउट्स की परिभाषा और टाउट्स के प्रोविजन को देखने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को देखते हैं, जबकि एडवोकेट्स एक्ट में दूसरी सारी की सारी चीजें, जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने की बातें हैं, वे आ चुकी हैं। इसलिए वह जो पूरी की पूरी परिभाषा है और उसके प्रावधान सैक्शन 45(ए) एडवोकेट्स एक्ट में इनकॉरपोरेट करके बहुत अच्छा किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री मेघवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। जब वह प्रोविजन इसमें इनकॉरपोरेट हो जाएगा और यह लागू हो जाएगा, उसी समय जो एक कालोनियल एरा का लॉ है, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 है, वह लॉ खत्म हो जाएगा, वह रिपील हो जाएगा। इसका भी प्रोविजन इसके साथ में दिया है।

दूसरा आस्पेक्ट टाउट्स का है। आप देखिए कि लीगल प्रोफेशन में यह बहुत बड़ा स्टिग्मा है। दूसरे बिजनेसेज में ये दलाल हो सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोफेशन में दलाल की कोई जगह नहीं है। इसलिए एडवोकेट्स एक्ट में भी यह प्रावधान किया गया है। चाहे हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल हो, चाहे एडवोकेट्स की एसोसिएशन हो, लीगल प्रैक्टिशनर्स की एसोसिएशन हो, लीगल फ्रेटरनिटी के सब लोग यह मानते हैं कि इस प्रोफेशन में जो इस तरह के टाउट्स हैं, वे इसमें नहीं होने चाहिए। यह एक बहुत ही अलग तरह का प्रोफेशन है। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ में समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति आते हैं, जो इनोसेंट हैं, जो जानते नहीं हैं। चाहे किसान हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है और वे इस तरह के टाउट्स के चक्कर में आ जाते हैं। इस वजह से उनके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि चाहे कारपोरेट्स हों, चाहे बड़े-बड़े बिजनेस हों, चाहे बड़े पढ़े-लिखे लोग हों, वे लोग चिन्हित कर लेते हैं कि कौन से वकील को करना है और कौन से वकील को नहीं करना है। उनको इस तरह की परेशानी नहीं आती है। टाउट्स की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को आती है। यह बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। मैं पुनः मेघवाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह की परिभाषा को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में लाए हैं, स्वतंत्रता के बाद में यह एक्ट पास हुआ है और कोलोनियल टाइम के कानून को खत्म करके, उसे पूरा का पूरा रिपील करके इसमें लाए हैं।

(1630/IND/AK)

महोदय, इस वजह से ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लीविंग के लिए प्रधान मंत्री जी का जो विजन है, वह भी पूरा होता है और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वह भी खत्म होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकटिम्स ग्रामीण जगहों के होते हैं। वे इनोसेंट होते हैं, कमजोर होते हैं और गरीब होते हैं। जब वे शहर आते हैं और वकील करते हैं तो उन्हें मिस गाइड किया जाता है और खर्च का

सारा भार उस गरीब पर पड़ता है। यह कानून ऐसे गरीब पीड़ितों को लाभ देने के लिए लाया गया है। इसमें तीन लोग इनवॉल्व होते हैं। एक लिटिगेंट होता है जो पुअर और इनोसेंट होता है। दूसरा पर्सन एडवोकेट भी हो सकता है और कोई दूसरा भी हो सकता है, जो कि वकील करवाने के बदले दलाली लेता है। यह समस्या भी आती है कि ज्यादा दलाली लेने के लिए क्वालिटी लॉयर भी नहीं करवा कर देते हैं जिसकी वजह से अच्छी सर्विस न मिलने की वजह से पीड़ित को न्याय भी नहीं मिलता है। लिटिगेंट को पता नहीं होता कि वह दलाल है और मदद करने की एवज में दलाल को पैसे देता है। दलाल को आइडेंटिफाई करने का तरीका होना चाहिए। जिसने कंसिड्रेशन दिया और जिसने कंसिड्रेशन लिया, वे तो पीड़ित नहीं हो सकते हैं। एग्रीव्ड सिर्फ इनोसेंट होता है। एग्रीव्ड को पता नहीं होता है कि इसके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है या उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों, सेशन कोर्ट्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, रेवेन्यू कोर्ट्स हों या ट्रिब्यूनल्स हों, हालांकि इस बिल में ट्रिब्यूनल्स शब्द का यूज नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे किसी भी तरह की कोर्ट्स हों, ये वहां नहीं होने चाहिए। ये लोग रेलवे स्टेशन्स पर मिलेंगे, बस स्टैंड पर भी होंगे और दूसरे पब्लिक प्लेसेज पर भी होंगे। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए यह कानून लाया गया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जो लिस्ट बनती है, उसके लिए एविडेंस गैदर करना हरक्यूलियन टास्क है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में जो रूल बने, उसमें एम्पल प्रोविजन ऐसे हों जिनमें इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि इनोसेंट की हम कैसे हैल्प कर सकें, इसके लिए एक्ट में किस तरह के रूल फ्रेम करें, यह जरूर स्पष्ट होना चाहिए। दलालों की लिस्ट पब्लिश होने के बाद कांसिक्वेंशल इफेक्ट दो हैं। एक इफेक्ट तो यह होगा कि वह उस न्यायालय में उपस्थित नहीं रह सकता है, लेकिन वह कहीं ओर से ऑपरेट कर सकता है। दूसरा कांसिक्वेंशल इफेक्ट पांच सौ रुपये पैनल्टी की पनिशमेंट का है और जेल का भी प्रावधान है जोकि बहुत कम है। इस तरह से हम क्राइम को रोक नहीं सकते हैं और आज की तारीख में उससे पांच सौ रुपये जर्माना लेना बहुत कम अमाउंट है। इसके अलावा पनिशेबल इम्प्रीजमेंट तीन महीने तक बढ़ाने का प्रावधान है और विद फाइन या दोनों भी हो सकते हैं।

(1635/RV/UB)

अगर किसी लेवल पर सिर्फ फाइन ही इम्पोज करे तो 500 रुपये फाइन होंगे, लेकिन इन्नोसेंट व्यक्ति के साथ चीटिंग होगी। यह हो सकता है कि वह उसका केस भी खराब कर दे। इसलिए, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए समुचित प्रावधान इसके रूल्स में आ जाए, जिससे गरीबों को फायदा मिले। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह एक ऐसा विजनरी कदम है, जो गरीबों को न्याय मिलने में आ रही बाधाओं को हटाएगा। इन्नोसेंट लोग, चाहे वे गरीब हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे गांव के किसान हों, उन लोगों के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए यह कानून है। महोदय, मैं पुनः माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप यह कानून लेकर आए हैं।

(इति)

1636 बजे

श्री मल्लूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, इस एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 1961 में टाउट्स की जो बात हो रही थी तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या शब्द दें। कानून का पालन कराने के लिए गैर कानूनी तरीके से अगर कोई धन कमाता है तो उसे बिचौलिया कहें, दलाल कहें या जो भी कहें, उसको रिमूव करने की बात और लोगों को ठगने से बचाने की जो बात इस अमेंडमेंट बिल में आई है, इसका हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह एक अच्छी पहल है। जैसा कि हमारे साथी बोल रहे थे कि इसमें जो सफरर हैं, वे इन्नोसेंट लोग हैं। इसमें अगर ज्यादा सख्ती की गयी तो वे तो न्याय से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए, मैं इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें जो गरीब लोग हैं, जो बहुत दबे-कुचले लोग हैं, जो एस.सी./एस.टी. के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए कोर्ट में ऐसा कोई कमरा बने या ऐसी कोई व्यवस्था बने जहां जाकर अगर वे कुछ जानकारी लेना चाहें, कोई सुविधा लेना चाहें तो वे ले सकें। उसमें बार काउंसिल के लोगों को कुछ पावर्स दें। उसमें वहां के लोग हों और राजनीतिक रूप से अलग से भी लोगों को डिप्यूट करें, जो वहां मौजूद रहें और जो उनकी काउंसिलिंग कर सकें और उन्हें सही रास्ता दिखा सकें, जिससे उनका धन खर्च न हो, उनके साथ ठगी भी न हो और उन्हें न्याय मिले।

महोदय, जब बात कानून की हो रही है, तो इसी से संबंधित मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों कोरोना महामारी हुई। कोरोना के समय में जो वकील थे, वे उस समय दूसरा कोई प्रोफेशन कर नहीं सकते थे। इसलिए अगर कोई महामारी या इस तरह की स्थिति आ जाए तो उस समय सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे, जिससे वकीलों को भी दूसरा कोई काम करने का मौका मिले या उनके लिए ऐसी कोई कंटीन्जेंसी फीस की व्यवस्था की जाए।

महोदय, हमारे लॉ एण्ड जस्टिस कमेटी में भूपेन्द्र यादव जी रहे हैं। उन्होंने उसमें बहुत मीटिंग्स की। हमें भी उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लीगल एजुकेशन में हमारा देश कहां खड़ा है, उसमें सरकार यह इवैल्यूएट करे। अगर हम अपने देश के संस्थानों की वर्ल्डवाइड रैंकिंग निकालें तो उसमें केवल आई.आई.एम., अहमदाबाद 551वें स्थान पर आता है। बाकी जितनी भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, वे 25,000 की रैंकिंग के बाद आती हैं। विश्व के पैमाने पर, जो यू.सी.एल. है, जहां से महात्मा गांधी और रविन्द्र नाथ टैगोर पास-आउट हैं, वह रैंकिंग 4 पर है। रैंकिंग 5 पर एल.एस.सी. है, जहां से बाबा साहेब अम्बेडकर पास-आउट हैं। ऐसी ही आईवी लीग है, जिसमें सात टॉप यूनिवर्सिटीज ने मिलकर एक लीग बनाई कि हम रैंकिंग 1 पर हैं। इसी तरह, जो लीगल एजुकेशन है, जिसमें सरकार और बार काउंसिल का हस्तक्षेप है, तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि इस सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव करें। हम देखते हैं कि हमारी स्टैण्डिंग कमेटी की मीटिंग में बार काउंसिल सरकार के ऊपर डालता है और सरकार के अधिकारी बार काउंसिल के ऊपर डालते हैं। इसमें भी सरकार ऐसा कोई प्रावधान करे, जिससे वहां इतनी पारदर्शिता

हो जाए और हमारे देश का लीगल एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो सके। चाहे वह मेडिएशन की बात हो, चाहे वह आर्बिट्रेशन की बात हो, हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। वकीलों से संबंधित मामलों में भी हमारा देश उतनी ही तरक्की करे और हमारे देश के आर्बिट्रेशन सिस्टम से, मेडिएशन सिस्टम से और यहां की एडवोकेसी से पूरे विश्व में हमारे देश का एक नाम हो और जैसे पहले विदेशों में पढ़ कर लोग नामचीन बनते थे, उसी तरह अब भारत में पढ़ कर लोग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकें।

(1640/GG/SRG)

साहब, मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यह टाउट्स की बात हो रही है, मान लीजिए कि वे जाँच के घेरे में आ गए और पकड़ लिए गए, तब उनको ऐसी सजा मिले, जिससे ऑटोमेटिकली आगे बंदिश लगे। मैं माननीय मंत्री जी का संज्ञान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वकील भी हैं, जिनके पास आप सिर्फ केस डिस्कस करने चले जाओ, वे ऐसी बातें करते हैं कि मैं यह काम यूँ ही कर दूँगा और झूठे-सच्चे नोटिस, झूठे-सच्चे केस करने लग जाते हैं तो ऐसी भी एक व्यवस्था सरकार सोचे, मंत्री जी सोचें कि उनकी जाँच हो कि इस वकील ने पिछले 100 केसेज़ कैसे किए हैं। क्या उन सब में झूठे ही केस हैं, उनकी एक लिस्ट बने और वह लिस्ट वेबसाइट पर होनी चाहिए, जिसको देख कर लोगों को यह निर्णय करने में आसानी हो कि किस वकील के पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है।

साहब, जो गांव-देहात के लोग हैं, जहां पर इंटरनेट और नेटवर्किंग नहीं है, वहां इंटरनेट और नेटवर्किंग के कनेक्शन, चाहे वह टेलिफोन से संबंधित सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट सैक्टर के लोग हों, वे इस पर भी पूरा ध्यान दें।

साहब, मैं जहां से जीत कर आता हूँ, उस पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजेंद्र अग्रवाल जी और बागपत के सत्यपाल जी भी आते हैं। जब चुनाव होते हैं, तब उस क्षेत्र के 27 एमपीज़ और 141 एमएलएज़ की सीट्स के सभी कैंडिडेट्स यह कहते हैं कि हमें जिता दो और हम यह मांग करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना की जाए। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, जिससे वहां की मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, कैराना, अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोक सभा की सीटों के क्षेत्रों को फायदा मिल सके। सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि जल्द से जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह काम हो सके क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर इलाहबाद हाई कोर्ट जाते हैं। वहां तक जाने में कभी-कभी पूरा रात और दिन का सफर हो जाता है। सुविधाएं भी नहीं होती हैं, कभी ट्रेनों की टिकटें नहीं मिलती हैं इत्यादि लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मेरी सरकार से माँग है कि पश्चिमी उत्तर के मेरठ क्षेत्र में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना की जाए।

(इति)

1643 hours

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, thank you for allowing me to participate in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023. The problem is identified in the Act. It has plagued the educational system for the last more than 100 years. The first attempt was made in 1879 to provide some kind of response to the problems. While I stand in support of the Bill, at the same time, I have reservations about the efficacy of the mechanism devised in the Bill. I am sceptical about the results of the Bill and whether it will achieve the intended purpose.

Sir, subordinate courts are burdened with 50 million cases. About 50 million cases are pending in our subordinate courts. Which Authority has to identify who is a tout? Who has to go for that kind of an exercise? It is not that somebody will call somebody a tout or somebody will identify somebody or publish a list. A procedure is to be followed. Who is burdened with that? Who is saddled with that responsibility to prepare the list and identify the persons? It is High Court, District Judge, Sessions Judge, District Magistrate and Revenue Officer. They are already over-burdened. How can a District Judge or a Sessions Judge can embark on that exercise? They also have to see the cause list for the day and also to deal with other problems that afflict the system. There is a malice in the system. That is why, I am doubtful whether this mechanism devised will be able to achieve the target? It is true that there are a large number of touts, particularly in trial courts.

(1645/RCP/MY)

But the process, the exercise to publish, to prepare the list and allow the person who is affected by the list or is affected by the exercise, may be undertaken by a District Judge. He has to be given a right to respond to the allegations. So, how can a District Judge or a Subordinate Judge deal with the exercise or prepare the list? I think, it is doubtful whether this system will bear the results. The right thing would have been that we designate an authority in a District Court like in a High Court we have a Registrar, Vigilance Officer or a Vigilance Commissioner who deals with cases of misconduct against lawyers. In the same way, in every District Court we should have an authority to deal strictly with this problem and prepare the list and whatever exercise is to be done, to follow that exercise. So, this is one reservation about it. I have heard from other hon. Members that there is some kind of a misconception about the problem. The problem that is sought to be addressed is not about every tout; it is only the touts who operate from the court

premises. This is because our gullible people, the people who visit our courts are mostly affected by the people who operate from the court premises. That is why clause 5 says that one of the punishments will be that a Judge will exclude a person whose name is found in the list from the court premises. The Sessions Judge or any other Judge who is presiding over that court can exclude his presence from the premises of the court. So, this is not targeted against all the touts in whatever colour they are and whatever costumes they wear. It is only restricted to the touts who operate from the court premises and one of the punishments proposed to be given is to exclude them from the premises. But while preparing this list, and fulfilling all the procedural requirements, the procedural due process, because a person cannot be declared as a tout unless and until he is given a reasonable opportunity, I do not think that the system devised under this Act is going to get the results that we target at.

Secondly, one of the targets is not only the gullible litigant, the litigant who comes to the court, visits the court for redressal of some grievance. It is also the junior lawyers because these touts mostly eat up the work that may be dealt with by the junior lawyers who are fresh entrants to the profession. So, this is one of the welcome steps. This will be just received with that kind of an enthusiasm by the junior lawyers who are freshers in the law courts. But at the same time, I would urge the hon. Minister to propose some kind of an amendment to the Advocates Act that provides for some honorarium or some support to the fresh entrants, the new entrants to the profession because those are tough years for a junior lawyer. The initial five years are very tough years for a junior lawyer. I had proposed a Private Members Bill for giving assistance to the advocates. I think, that would be a welcome step if that is done so that they get some kind of a relief. With that, with whatever I said about the mechanism and my reservations about the mechanism, it is a welcome step. There should be some kind of a second look on it so that instead of burdening the Sessions Judge or the Presiding Officers at the courts who are already overburdened, it will be better to have a designated officer like a Vigilance Commissioner – as we have in courts, in a High Court a Vigilance Commissioner or a Registrar Vigilance Officer – who is asked to exclusively deal with the problem and who completes the exercise. Then only he will be able to efficiently identify them and the objects of this Act will be achieved.

Thank you.

(ends)

(1650/PS/CP)

1650 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir. This piece of legislation is like a *fait accompli* one. The Advocates Act of 1961 was based on certain authentic reports and recommendations of the Judicial Commissions.

The Act of 1961 covered all the issues raised in the parent Act and that is perfect. But unfortunately, this particular provision relating to touts was missed there. This is to fill up that. That is the scope of the Act. That is okay.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to point out one thing. I heard the speeches made by other hon. Members. They are not only MPs but they are also eminent lawyers and legal luminaries. They were all sharing certain apprehensions. First, what is the procedure for identifying and listing the touts? The procedure which is stipulated in this Act is having a confusion. So, that is to be re-addressed. They were citing certain burning issues such as deterioration in the judicial system of our country. Similarly, there is a wide kind of a criticism that impartiality and independence of Indian Judiciary is diminishing like anything. That is also a point of concern.

Another point which has been raised by you also is about the lack of representation for the underprivileged sections -- SCs, STs and OBCs. There is no judicious competition in the higher judiciary as far as these marginalised sections are concerned. We all know that trustworthiness in the Judiciary should be adhered to strictly. All kinds of unfair practices should be curbed. That is also a truth. Transparency and ethical values should also be strictly adhered to. We have to ensure that there is no loophole in the existing structure which loses trustworthiness in the judicial system in our country.

Sir, we all know the responsibility of the lawyers. Section 1 of Chapter II of Part IV of Bar Council of India frames code of conduct and etiquettes of advocates and prescribes duties of advocates in courts. That is very clear. Code of conduct was laid down. That shows that lawyers should not take up any case where the client may have some wrong thinking. There should be a clarity on that aspect also. Similarly, unfair practices, wherever they are, should be curbed and discouraged. Not only that, the code of conduct also says that lawyers should not promote unauthorized practices, and they should also avoid

advertisement and solicitation of work. That kind of canvassing also should not be there. That can also be treated as a bad practice.

Similarly, lawyers' responsibilities have also been categorised. They have responsibilities towards courts to do justice. In that way also, relation with the judges is also a very important thing. In fact, lawyers' profession is not just a normal profession, it is a very sacred profession. A lawyer is duty bound to educate his client not to have any kind of unfair practices. As far as judicial credibility, transparency, and accountability is concerned, the whole nation is worried about that. Any kind of lapse taking place is a worrisome kind of a thing. We have to address that also.

The relation between judges and lawyers is a very important thing. You know that the Bar, that is, advocates and Bench, that is, Judges, play an important role in the administration of justice. Judges administer the law with the assistance of lawyers. The lawyers are the officers of the court. It is a very important thing. Unfortunately, there is some kind of a misunderstanding which is developing with certain judges and lawyers. That is also an unhealthy practice. That also may kindly be addressed.

(1655/NK/SMN)

Sir, towards the end, I would like to say one thing that there is a complicated situation. Judge is a very powerful position and is very important one as per our Constitution. But I want to make a submission for the loud thinking of this House. It is about the reappointment of the Judges. Judges, unfortunately, may have a hope that after retirement, the Government may give him some new appointment. Is it a healthy practice? If this kind of practice continues, will it not affect the transparency and accountability of the Judiciary? That is a point to be debated as far as India is concerned now.

We all know the story of these appointments. I do not want to go into the depth of it. They should not have an impression that after retirement, if we do something for the Government's support, we may have better kind of appointment elsewhere. That kind of tendency is a bad tendency. That kind of tendency should not be encouraged and we have to think loudly whether we can give such kind of appointments to the Judges after retirement.

With these few words, I conclude.

Thank you very much.

(ends)

1656 बजे

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय विधि मंत्री जी श्री अर्जुन लाल मेघवाल जी के प्रति भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप एक से एक ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश का सीधे-सीधे वास्ता है और उससे देश का कल्याण हो रहा है। इसके पहले आप नारी शक्ति वंदन कानून लाये, जिससे देश के नारियों में एक उत्साह का वातावरण जागृत हुआ और वह कानून के माध्यम से अपनी दिशा तलाशने का काम कर रही हैं।

मैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 का हृदय की गहराइयों से समर्थन करता हूँ। इस विधेयक को राज्य सभा में 1 अगस्त, 2023 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक का आशय सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी अप्रचलित कानूनों या अपनी उपयोगिता खो चुके स्वतंत्रतापूर्व अधिनियमों को निरस्त करना, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना और विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त करना है।

कानून आज नहीं, बल्कि प्राचीन भारत में भी विधि व्यवस्था थी। जब उस समय यह कानून था, तब छोटे-छोटे समूह में रहने वाले लोग अपने समूहों के, जाति के मुखिया सभी सदस्यों के समक्ष खुले आसमान के सामने अपना निर्णय सुनाते थे। उस समय अलग-अलग तरीके से कठोर निर्णय देकर उनको दंडित करने का काम करते थे। उसके बाद जब राज सत्ता की स्थापना हुई तो राज्यालोक अपने धर्म गुरुओं और बुद्धिमान दरबारियों की मदद से न्याय देने का काम करते थे। यह लगातार चलते-चलते स्वतंत्रतापूर्व विधि व्यवस्था ब्रिटिश काल में भारत में एक मॉडल विधि प्रणाली विकसित की गई। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 ने क्राउन लेटर्स पेन्टेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। इन लेटर्स पेन्टेंट ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ताओं और न्यायविदों के नामांकन हेतु नियम बनाने के लिए प्राधिकृत और सशक्त बनाने का काम किया।

उसके आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जस्टिस एस.आर.दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय बार काउन्सिल और राज्यवार काउन्सिल की स्थापना करने की सिफारिश की। समिति ने बार काउन्सिल में अधिवक्ताओं के नामांकन, निलंबन या उसकी सदस्यता रद्द किए जाने की शक्तियों की सिफारिश की। समिति ने यह सिफारिश भी की कि गैर-स्नातक लीडर्स और मुख्तारों की आगे कोई भर्ती न की जाए।

(1700/SK/SM)

केंद्र सरकार ने वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम भारत में लागू है। इस अधिनियम से भारत में विधि व्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर विधि व्यवसाय की उपयोगिता और गरिमा कायम की गई है। अधिनियम

की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम विधि व्यवसायों से संबंधित विधि में संशोधन करने के अतिरिक्त उसे समेकित भी करता है।

महोदय, हम यहां दलालों की बात करते हैं। इस विधि व्यवसाय अधिनियम, 1879 की धारा 36 दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्ति से संबंधित है। प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिले के कलक्टर की श्रेणी से नीचे का न हो, प्रत्येक प्रेसीडेंसी को यह अधिकार दिया गया और उन दलालों के ऊपर कार्रवाई करने और आर्थिक दंडित या जेल भेजने का नियम भी बनाया गया है।

सभापति जी, सदन में अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि सदन का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 144 करोड़ लोगों के हित के लिए सदुपयोग किया जा रहा है ताकि कठोर और सही कानून बनाकर इसका लाभ मिल सके। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सदन के माध्यम से, कानून के माध्यम से की जा रही है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि न्यायपालिका सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका किसी एक के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। कानून की जानकारी होना सबके लिए आवश्यक है। कानून की जानकारी होगी तो कम से कम गलतियाँ होंगी और इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। यह कानून दलालों के खिलाफ आया है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को फिर से बधाई देता हूँ, इससे दलालों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि अब तो दलालों का ही बोलबाला है।

मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में आज दारू और बालू का बोलबाला है। दलालों का बोलबाला वहां चल रहा है, सारी व्यवस्था में दारू बंद है, लेकिन दारू अभी भी चल रही है। हजारों लोग जहरीली दारू से मर गए लेकिन दारू आज भी बंद नहीं हो रही है। बालू की ओवरलोडिंग हो या चालान हो, दलालों के माध्यम से यह खुलेआम चल रहा है, इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। हमें लगता है कि इस कानून के बनने से बिहार में भी दारू और बालू पर अंकुश लगेगा।

महोदय, मैं इस बिल के लिए माननीय मोदी जी और माननीय कानून मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1704 hours

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023. On behalf of YSRCP, I fully support the Bill. I thank the hon. CM, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy and the floor leader, Shri Midhun Reddy for giving me this opportunity.

Self-respect and democracy are the basic essence for happiness of any human being. Money is secondary. Advocates play an essential role in this regard. An advocate with good heart can restore the self-respect of aggrieved citizens. They can bridge the gap between common man and justice. They can play an important role in building a society with equality. If they can support, the marginalised and under-privileged communities, they will be treated as living Gods.

The three basic responsibilities of any Government are justice, health and education. I hope this Amendment Bill will bring some relief to the common man of this country with regard to justice. We cannot deny the fact that justice is still a mirage to a large section of our society. Under the leadership of hon. Prime Minister, people are expecting more of such reforms in the Indian judiciary system.

Every kind-hearted citizen wants a change in the society. For a change in the society, amendments of the existing Acts should be a continuous process. So, this amendment is very much needed. It is need of the hour. The Advocates (Amendment) Bill, 2023 is proposed to amend the Advocates Act of 1961. This Bill repeals certain sections of Legal Practitioners Act of 1879 and consolidates the Act of 1961. The Bill provides that every High Court judge, district court judge, sessions court judge and District Collector may issue a show cause notice to a suspected tout, institute an enquiry and publish a list of the touts.

(1705/RP/KDS)

The courts can then prevent the listed touts from entering the court premises. The listed touts may be punished with imprisonment and are fined. These are welcome measures. Since tout in legal system is detrimental to a good society, this anti-touting law, if enforced strictly, can curb unethical legal practice in India. At this juncture, the Government should take care to avoid overlap of work of Justice Deepak Gupta Committee and this amendment.

Sir, since this is a very small Bill, I would like to take this opportunity to highlight a few more issues of the judiciary system. Amendment to various Acts related to legal system are needed for natural justice to prevail, for example, the advocates registry. The Bar Council of India website has a registry of advocates but it is not easy for the common man to access it. Advocates registry access through a smartphone app can be of immense help to the common man so that he can select an advocate with good credentials.

As far as the problem of junior advocates is concerned, they are in plenty, which need to be addressed. In the judiciary parlance, there is a word called syndrome of underpaid and over-worked junior advocates. First five years of any first-generation advocate's life is pitiable. They are underpaid, sometimes as low as Rs. 5000. There is no time schedule and no work rule. So, their livelihood should be respected. This problem can be solved to some extent by a change in the curriculum of LLB course. Practical knowledge should be imparted along with theory. Internship courses need to be started by the Government. Some social security measures like health insurance, provident fund, and ESI should be given to the junior advocates. This will safeguard the existing practitioners and also attract the best talent in this profession. Judges and administrative staff of the judiciary system are better placed when compared to junior advocates. This anomaly needs to be corrected. Young members of the Bar are the future of the Bar. The standard of the Bar will remain good only if these young advocates are taken care of. With the evolution of society, good lawyers will be the need of the hour for both, the Bar as well as the Bench.

As far as the welfare committee of the Bar is concerned, a separate committee should be constituted as in many western countries which will take care of the financial, physiological, and health needs of the junior advocates. Some financial assistance should be given from the Bar Council to the junior

advocates in need. The inefficient legal system should be taken care of. As per the data provided by the National Judicial Data Grid, 21 lakh civil cases and 61 criminal cases are pending in the courts of India. A junior advocate will lose faith of the client when the case is prolonged for many years. This has nothing to do with the efficiency of the advocate but it is the fault of the legal system. We talk about ethics of doctors, politicians, students, and professors but nobody talks about the ethics of judges in India. Can we make laws to fix a timeframe for disposal of litigation?

Enrolment fee by State Bar Councils lacks uniformity. For example, it is Rs. 750 in one State Bar Council and it is Rs. 15000 in Delhi State Bar Council. This is against Section 24(1)(f) of the Advocates Act of 1961 and violates the right to equality under Article 14. I request the hon. Minister of Law to take necessary steps in this regard. Sir, likewise, the budgetary allocation should be increased and low ratio of Judges to population should be taken care of.

Sir, at the end, I would like to mention about 'YSR Law Nestham'. The Government of Andhra Pradesh under the able leadership of hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy is providing a monthly stipend of Rs. 5000 to all junior advocates since December 2019. As usual, our beloved leader is a trend setter of many novel welfare schemes in India. I request the hon. Minister to start a similar scheme on all-India basis.

To conclude, Sir, the Advocates (Amendment) Bill, which seeks to reform the legal system in India, needs effective implementation.

With these words, I support the Bill.

(ends)

(1710/NKL/MK)

1710 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Advocates (Amendment) Bill, 2023. Though it is a small Bill, it is very important as far as the advocates community is concerned.

Sir, most of the hon. Members, especially Shri Jagdambika Pal ji, made eloquent speeches praising the hon. Prime Minister where they said that under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, wonderful things have been done by means of this legislation. I cannot understand what the spirit is and what the contents of this legislation are. Also, I am not sure about what Mr. Jagdambika Pal ji has imagined or assessed about this legislation. It is because this is a legislation which is already in existence. The only thing that the Government is doing is to repeal an obsolete law. Other than that, nothing is new in this Bill. Jagdambika Pal ji, everything is a colonial legislation. This itself is a colonial legislation. You are taking a portion of Section 36 of a colonial legislation and incorporating it in the Advocates Act. There is nothing new. No revolutionary thing is done by the hon. Prime Minister in having this legislation. Unfortunately, you are unnecessarily praising everything. The Act of 1961 is there. The Act of 1879 is also there. So, you have to understand that you took a portion of the 1879 Act and incorporated it in the 1961 Act. You are only repealing an obsolete law of 1879. That is the only thing which is happening. This is the way by which exaggeration is going on in this House regarding so many things which are being done by this Government.

Sir, I fully support this Bill but I would like to seek some clarifications from the hon. Law Minister. Number one, the Statement of Objects and Reasons in the Bill is not so specific. You are mentioning that it is only to repeal the obsolete law. But at the same time, you are incorporating some provision in that. Section 36 of the 1879 Act is being incorporated in the Advocates Act of 1961. As you are incorporating a new provision, that

should also come in the Statement of Objects and Reasons. That is a simple observation as far as the Statement of Objects and Reasons is concerned.

Another point on which I would like to seek clarification from the hon. Law Minister is this. The Legal Practitioners Act 1879 was in existence. In order to replace the Legal Practitioners Act 1879, in the year 1961, a new Act, that is, the Advocates Act 1961 was made. But unfortunately, except Sections 1, 3 and 13, all other Sections were repealed. These Sections were there in the original Act of 1879. My question is this. In the year 1961, why did the then Legislature, the then Parliament avoid this provision of Section 36 from the 1961 Act? To my understanding, to my knowledge, it is because this has nothing to do with the advocates. Section 36 of the 1879 Act is relating to the touts. The Advocates Act is a law consolidating the rules and regulations relating to the advocate profession. The touts have nothing to do with that profession. That might be the reason due to which Section 36 was not incorporated in the Advocates Act 1961. So, I would like to seek the clarification or the justification from the hon. Minister that how the law relating to touts will come within the purview of the Advocates Act 1961. I am seeking that clarification from the hon. Law Minister. This is the point on which I would like to discuss as far as the contents of the Bill is concerned. Otherwise, the Bill is absolutely okay. We fully agree with the Bill because obsolete laws have to be repealed from the statute book. But the only clarification that I am seeking is this. How will the law of touts be relating to the law of advocates?

There are one or two other points to which I would like to draw the attention of the hon. Law Minister. Nowadays, in most of the legislations which are coming for enactment, advocates are being omitted or the role of the advocates is being limited by means of the legislation. The Government has to take care of that because nowadays, strict legal interpretation is very difficult. Even the Chief Justice of the hon. Supreme Court has already observed that it is very difficult to understand and interpret the verbatim or the legal drafting of the laws made by the Parliament.

(1715/MMN/SJN)

At the same time, most of the times, we are trying to limit the role of the advocates in the legal proceedings and thereby so many authorities have been formed. In almost all the authorities – I am not going to cite the examples – the role of the advocates is being limited. That has to be looked into. That is one of the issues which I would like to highlight.

Most of the Members have spoken about it. The previous speaker also spoke about it. This is regarding the Advocates Act. We know that the Advocates Act is meant for regulating the profession along with the Bar Council which is also a part and parcel of this Act. So, we have to keep in mind the welfare of the advocates also. We know about the medical profession. In the medical profession and in almost all the other professions, like the internship allowance, so many other allowances are there. As far as the junior advocates are concerned, in Kerala, we have a phrase that there are four stages in the profession of an advocate. The first stage is the raw junior. There is no case and there is no fee. The second stage is, there is case but there is no fee. The third stage is, there is case as well as fee. And, the fourth stage is the super senior stage where there is no case but fee is there. These are the four stages of an advocate in the local language we are saying.

So, what is my point is that the junior advocates have to be protected by providing some internship or stipend allowance of not less than Rs.25,000 for pursuing their profession. Something has to be done because in house surgency internship and so many other things, we are providing such types of allowances. After PG degree medical examination, we are providing all these amenities. Similarly, the junior advocates have to be protected so that they will maintain the profession in a proper way.

In so many executive posts, the law degree has to be made compulsory. My suggestion is, as far as the Station House Officer is concerned, a Station House Officer has to be well aware of the law, especially the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code and the civil law. They have to be well versed in the law. But unfortunately, in most of the

stations we know very well that the SHOs are not fully aware of this. So, as far as the SHOs are concerned, the minimum qualification of a Station House Officer should be that they should have a legal degree, that is, an LLB degree. That should be made compulsory for all such types of executive posts.

The last point which I would like to highlight is this. As far as the medical profession is concerned, you know we have made the proposal for protecting them. A law is there. Sir, 22 State Legislative Assemblies have made laws for protecting them by providing safety and security to the medical professionals. The same thing is not happening in the case of advocates. They require protection from the police forces. In my State, Kerala, in Trivandrum and in Kollam Bars, and in the High Court also, so many conflicts have taken place because police is brutally attacking the advocates. The police is interfering in the advocacy profession, and no protection is being provided to them. In such a way, we have to think of giving safety and security in the discharge of their profession as an advocate, especially from the police forces. Now a series of incidents of violence are happening in various parts of the country. That has to be dealt with. For this also, the Government has to think of formulating some legislation so as to protect the interest, safety and security of the advocates in the discharge of their functions as a legal professional or an advocate.

With these suggestions and with these clarifications, I would like to support this Bill once again. Thank you very much, Sir.

(ends)

1718 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, taking advantage of this discussion today, I am goaded to participate in this Bill under the nomenclature, the Advocates (Amendment) Bill, 2023.

Already, several Members have participated and made their valuable suggestions on this particular legislation.

1719 hours

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

The issue is that the legal profession has already undergone a long evolutionary process in our country. The legal profession has been in existence since the ancient times. Then, the Head of the Groups or the Tribes delivered justice under the open sky before all the members. There was no specialist like a lawyer during those days. When the kingship was established, the king delivered justice with the help of his Religious Head and wise courtiers.

(1720/VR/SPS)

During the British period, the model legal system was developed in India. The Indian High Courts Act, 1861 passed by the British Parliament enabled the Crown to establish High Courts in India by Letters Patent, and these Letters Patent authorised and empowered the High Courts to make rules for enrolment of Advocates and Attorneys. The All India Bar Committee was constituted under the chairmanship of Justice S.R. Das. The Committee recommended the establishment of an All-India Bar Council and State Bar Councils.

Sir, we must acknowledge the fact that the legal profession is an important limb of the machinery for the administration of justice. Without having a well-organized profession of law, the courts would not be in a position to administer justice effectively. Also, the judiciary still is being treated as the last resort of the affected people across the nation. Sometime I feel that common people are losing their reliance upon Legislature, upon Executive and gradually they are going to resort to the judiciary in order to address or redress their grievances and their problems. So, the legislation should ponder over this growing phenomenon insofar as our legal mechanism is concerned.

Sir, the issue is that the Government is intending to bring in this legislation with an intention which has been depicted by the Government in this Bill that the Government of India in consultation with the Bar Council of India has decided to repeal the Legal Practitioners Act, 1879, and to amend the Advocates Act, 1961

by incorporating the provision of Section 36 of the Legal Practitioners Act, 1879 in the Advocates Act, 1961 so as to reduce the number of superfluous enactments in the statute book. Therefore, according to the core contents of the legislative document, we did not have any substantial argument to oppose this Bill. But certainly, we must say that still the legal professional mechanism should be more streamlined, should be more strengthened. Sometimes, in our own experiences we are facing various kinds of hassles and intricacies in order to execute our political activities.

जब सियासत के चलते, राजनीति के चलते कोर्ट के दर्शन करने पड़ते हैं तो पता चलता है कि कोर्ट के अंदर का लफड़ा क्या है, कोर्ट के अंदर की समस्याएं कितनी हैं। कोर्ट में जब हम जैसे लोग, जो बाहर से किसी केस में इम्प्लिकेट होकर कोर्ट में जाते हैं तो वकील और कोर्ट के दलाल हमें मुर्गा समझते हुए जितना हो सके, नोचने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल सच है। लोग कहते हैं कि अगर शेर ने आप पर हमला किया तो 12 या 13 चोट लग सकती हैं, लेकिन अगर कोर्ट और पुलिस ने हमला किया तो आपको 18 से ज्यादा चोट लग सकती हैं। इसी के चलते हम अपने कानून मंत्री को यह सलाह देना चाहते हैं कि आप गरीबों की बात सोचते हुए, आम जनता की बात सोचते हुए इस लीगल एड प्रोसेस को और मजबूत कीजिए। Legal aid for poor and vulnerable people should be strengthened in a manner that the entire process could be helpful for them. That is why I thought it prudent to at least put forward some of the views of the common people. वकीलों के ये सारे मुद्दे हमारी कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इनमें और सुधार लाना जरूरी है। वकीलों, टाउटों और बीच में यहां पर ज्यूडिशियरी के बारे में कोई टिप्पणी की गई थी तो मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी करते समय हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यूडिशियरी, एग्जिक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस के हिसाब से देखते हैं। ज्यूडिशियरी कॉन्स्टीट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करती है तो ज्यूडिशियरी पर पूरा भरोसा रखते हुए हम सबको इस तरीके के कानून बनाने चाहिए कि ज्यूडिशियरी हम पर हस्तक्षेप न कर पाए।

(1725/YSH/SAN)

अगर हम इस तरह का चुस्त-दुरुस्त कानून बनाने में सक्षम रहे तो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, चेकमेटिंग मैकेनिज्म पर यह और ज्यादा असरदार होगा। यह जो विधेयक लाया गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के लिए लीगल प्रोसेस को, लीगल मैकेनिज्म को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त कीजिए। यह सलाह देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ।

(इति)

1726 बजे

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इसमें सरकार की नीयत साफ है, लेकिन बिल अधूरा है। इस वजह से अधूरा है, क्योंकि इसमें जो टाउट की डेफिनेशन दी गई है, उसके अंतर्गत इस बिल के अंदर टाउट का मतलब है कि 'persons who procure clients for a legal practitioner in return of money'. टाउट्स का मतलब दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है या मिडिलमेन हो सकता है। इस बिल में इन दलालों को, इन टाउट्स को पेनेलाइज और पनिश करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है।

सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सिर्फ इस बिल के जरिए ये जो दलाल हैं, टाउट्स हैं, उनके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं या वे दलाल किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या वह दलाल सिर्फ अपने क्लाइंट्स से पैसे खींचने वाला है? जिस एडवोकेट के लिए वह पैसे लेकर जा रहा है, उस एडवोकेट पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? इस बिल के अंदर इसके बारे में भी जवाब होना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, यकीनन यहां पर आज जो डेफिनेशन दी गई है कि ये टाउट्स कहां पर मिलते हैं तो आपने बताया है कि they frequent places such as precincts of civil or criminal courts. सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ़ में ये दलाल होते हैं। ये रेवेन्यू ऑफिसेज़ के अंदर होते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर होते हैं और ये ग्राहकों की तलाश करते हैं।

सभापति महोदय, यह बहुत गलत है। ये टाउट्स आज हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां कानून बनाए जाते हैं, शायद उसके अतराफ़ में भी ये टाउट्स आपको मिलते होंगे। क्या आज पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर टाउट्स नहीं हैं? अगर किसी को बेल लेनी है और यदि पुलिस वाला यह कहेगा कि मैं बेल का अपोज़ नहीं करने वाला हूँ तो यह भी एक टाउट है। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अंदर अधिकारी भी टाउट का रोल अदा कर रहे हैं, यह भी एक सच्चाई है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, चूँकि आज देशभर के जितने भी टाउट्स हैं, वे खुश होंगे, क्योंकि इसके पनिशमेंट के पैसे महज 500 रुपये हैं। मंत्री जी, इस सरकार ने 500 रुपये की कीमत 50 रुपये के बराबर लाकर रख दी है। आप दलालों को कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको 500 रुपये फाइन करेंगे। अगर आप दोबारा पकड़े गए तो तीन महीने की सजा मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये दलाल किस लेवल पर काम करते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है? यकीनन इस पर फाइन बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री साहब से यह कहना चाहता हूँ कि आज से तीन साल पहले जब कोरोना आया था तो मेरे चुनावी क्षेत्र में छोटी-छोटी दुकान वाले, जो छुपकर अपना कारोबार कर रहे थे, उन पर प्रशासन ने एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, तीन लाख रुपये का फाइन किया। जब मैंने उसमें हस्तक्षेप किया, लेबर कमीश्रर के सामने जाकर बैठा, आंदोलन किया तो तीन लाख रुपये का फाइन तीन हजार रुपये का हो गया। उन लोगों को राहत मिल गई, लेकिन मंत्री साहब मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर किया गया कि मैं सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। जब मैं पिछले दो सालों से अदालत के चक्कर काट रहा हूँ तो मुझे यह अहसास होता है कि आज इस देश की अदालतों के अंदर अगर लाखों केसेस पेंडिंग हैं तो ऐसे केसेज पेंडिंग हैं। एक घंटे के अंदर यह केस अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी के अहंकार को मैंने ठेस पहुंचाई थी तो केस रजिस्टर किया गया। आज दो साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आप कह रहे हैं कि लॉयर्स का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत प्रोफेशन है, लेकिन जब यंग लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं तो उन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और इनके लिए भी मदद होनी चाहिए। (1730/RAJ/SNT)

सभापति महोदय, मैं लॉयर नहीं हूँ। मंत्री साहब, मैं लॉयर नहीं हूँ और न ही मेरे पास लॉ की डिग्री है, लेकिन मैंने पिछले दो सालों से बेंच ऑफ हाई कोर्ट, औरंगाबाद के अंदर एक पीआईएल फाइल की है... (व्यवधान) मैं सिर्फ आधा मिनट बोलना चाहता हूँ।

मैंने मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए एक जनहित याचिका फाइल की है। मैं बेंच ऑफ हाई कोर्ट, औरंगाबाद को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सिर्फ मुझे सुन कर ऐसे फैसले दिए हैं। मैंने वहां पर दो सालों से वकील नहीं लगाया है। अदालत ने मुझसे कहा कि आप वकील क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो मैंने कहा कि वकील कानूनी भाषा बोलेंगे। मैं दिल से बताना चाहता हूँ कि हमारी मेडिकल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। यह प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बशर्ते इसके अंदर से दलाल, बिचौलिए और टाउट्स को हटाया जाना चाहिए। यकीनन, आप इस बिल को लेकर आइए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है। हम इसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। (इति)

1731 बजे

श्री गिरिधारी यादव (बांका): सभापति महोदय, सरकार के द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 लाया गया है, यह अच्छी बात है। यह समग्र रूप में लाया जाना चाहिए। यह बिल पार्ट में है। यदि यह बिल समग्र रूप में आता, पूरा आता, तो और अच्छा होता। आपने सिर्फ कहा है कि इसमें से टाउट को हटा देते हैं। यह अच्छी बात है। इसको हटा दीजिए। वकीलों की जो स्थिति वकालतखाने में है, उनके बैठने-रहने की जो व्यवस्था है, आप उनके बाथरूम को देखेंगे, तो पाएंगे कि वे सबसे खराब हालत में हैं। जो नए वकील ज्वाइन करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? वे बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। आप पूरा बिल लाइए। जो जूनियर वकील, नए वकील ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा अंतर है। इस देश के सीनियर वकील के पास पैसा रखने की जगह नहीं है, लेकिन इस देश के जूनियर वकील को खाने का ठिकाना नहीं है। इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है?

मैं फीस के बारे में कहना चाहता हूँ। कौन-सा वकील फीस क्या रखेगा? इस देश की गरीब जनता न्यायालयों में जाती है। वहां कोई रेट तय नहीं है। रेट जो उनके मन में आया, कोई कहता है कि हम 20 हजार रुपए लेंगे, कोई कहता है कि हम 30 हजार रुपए लेंगे, कोई कहता है कि हम एक लाख रुपए लेंगे, कोई कहता है कि हम इसका ठेका ले लेंगे। जब आप कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे, गरीबों से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस देश में न्यायालयों की क्या हालत है। आप अच्छा बिल लाये हैं। आप दलाल को हटाइए। दलालों को हटाया भी जाना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि वहां दलाल न हों। दलाल न्यायपालिका के अंदर भी हैं। यह आपको देखना पड़ेगा। जो जज और वकील के बीच कहीं-कहीं कोई कनाइवेंस है, आप उसको भी खत्म करें। उनके मुंशी के पास लाइसेंस है। आप उनको कैसे हटा देंगे? वहां बाहर से कोई नहीं आता है। वहीं जो वकील के मुंशी हैं और लोग हैं, उसको क्या करिएगा? आप किसी को दलाल कहिएगा तो उसे मुंशी अपना वकील बना लेगा, तो आप और हम क्या कर लेंगे? अब वह प्रैक्टिकल नहीं है।

आप इस देश में बिल एसी चैम्बर में बनाते हैं। जिसने आपका बिल बनाया है, क्या उन्होंने कोर्ट में जाकर किसी गरीब से बात की है? जो जेल में है, उससे बात की है? बिना दलाल के काम कैसे होगा? मान लीजिए कि जेल में मेरा एक आदमी है। उसके घर में कोई नहीं है। उसको छोड़ने के लिए कोई आदमी गया। आप उसको दलाल बना कर जेल में डाल दीजिएगा, तो उसे कौन छोड़ाएगा? उसके कुछ लोग दिल्ली-कोलकाता में हैं। आप कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए। आप पूरा बिल लाइए। आप उनको मदद दीजिए। जिसके परिवार में एक आदमी जेल गया, उसके घर में कोई महिला है, तो वह कैसे कोर्ट जाएगी? जेल में टिप्पा लेना है, तो जेल में टिप्पा लेने कौन जाएगा? आपको पता ही नहीं है कि जब जेल में उसका टिप्पा लेगा, तब वकालतनामा फाइल होगा। इस देश में वकालत का जो पेशा है, उसमें बड़ा पैसा है। वकील लोग देश में क्रांति लाते

हैं। चाहे जार के खिलाफ क्रांति हुई हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, सभी में वकीलों का योगदान है।

देश में जितने बड़े आजादी के नेता थे, चाहे वे नेहरू जी हों या गांधी जी हों, वे सारे पेशे से वकील थे। उन लोगों का कैरेक्टर था, उन लोगों ने देश में अपना योगदान दिया है। इसलिए अब जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में सरकार अच्छा काम कर रही है। इसको और अच्छे तरीके से करिए। आप सभी पक्षों को सुनिए और रखिए। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए। आप यह बिल पास करिए, लेकिन गरीबों की जो हालत है, जो वर्षों से केस में फंसे हुए हैं। हमारे यहां एक पटना, हाई कोर्ट है। वहां की आबादी 12 करोड़ है। आप वहां एक दूसरा हाई कोर्ट नहीं दे रहे हैं। आप छोटे-छोटे राज्यों को दो हाई कोर्ट्स दे रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में तीन हाई कोर्ट्स दे रहे हैं। हमें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट्स से आपत्ति नहीं है। आप बिहार में क्यों नहीं एक बेंच बनाते हैं? आपको बिहार से सख्त नफरत है। बिहार ने 39 सीट्स दी, पहले 31 सीट्स दी, लेकिन भारत की सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रही है। इसको बिहार की जनता देख रही है। आप वहां यह क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आप आबादी के अनुसार यह बनाइए। हम लोग वर्षों से जेल में पड़े रहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, तो छः महीने में आता है। हम बेल फाइल करते हैं, तो पांच महीने में आता है। जजों की संख्या नहीं है। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा बिल लाइए कि आबादी के अनुकूल हमारे राज्यों में भी बेल हो। हमारे राज्यों में भी हाई कोर्ट का बेंच बने। आप यह नहीं बनाते हैं। क्योंकि आपको हमारे राज्य से केवल वोट लेना है, जात-पात करना है, हिन्दू-मुस्लिम करना है, आपको वोट मिल जाएगा। आप यहां आकर केवल महाराष्ट्र और गुजरात का विकास करिएगा... (व्यवधान)

(1735/KN/AK)

आपके हल्ले से हमें कोई चिंता नहीं है... (व्यवधान) आपके हल्ले से मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है... (व्यवधान) आपको बिहार की जनता बतायेगी। आने वाले चुनाव में आपका बिहार में क्या हश्र होगा, ये सब इन बातों को जानते हैं... (व्यवधान) आप समय से बिल नहीं लाते हैं। आप हम लोगों के साथ एकदम नाइंसाफी करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के साथ न्याय हो और बिहार में हाई कोर्ट की एक बेंच खोली जाए।

इन्हीं बातों के साथ, मैं बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(इति)

1735 hours

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this Bill. This Bill has been listed for business so many times, yet it never came up for discussion. इस सरकार में सिर्फ तारीख पर तारीख आती गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।

The Government has brought this Bill with a very noble objective, but it is a decade late. The 249th Law Commission Report that made the recommendation of repealing the Legal Practitioners Act, 1879 was laid in October, 2014. Hence, it took this Government 10 years to adopt these recommendations. This Bill should have been brought much earlier. Even when the Government has adopted the recommendations, they have done it in a half-hearted manner. Though the learned Advocate and my senior Member, Kalyan da has already spoken from my Party, I would like to make some suggestions.

Firstly, the Government should have at least come out with some sort of awareness campaign about the practice of tout and it being illegal. Unfortunately, a common man who has a legal case to fight may not be able to identify a tout altogether and end-up paying hefty fees to him. क्योंकि उसको यह लगता है कि अगर इसके पास जाएंगे तो शायद मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। इस चीज पर एक क्लेरिटी होनी चाहिए।

Secondly, the Government usually advocates to go digital. यह गवर्नमेंट हमेशा कहती है— डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल है। But what happened in this scenario? Why could the Government not make a single database where all courts could upload their tout lists? कोर्ट्स में टाउट लिस्ट को अपलोड कर देना चाहिए था। This would have helped to mitigate this practice at a larger level and would limit this practice at scale.

Thirdly, I beg this Government to make the judicial system more accessible and more inclusive. I am sure that the entire House would like to see a more robust and equitable justice system. The legal fees taken throughout the country is unregulated. On the one hand, there are a few lawyers who charge a very high amount of fees up to Rs. 50 lakh for a hearing whereas, on the other hand, the Members of the Legal Aid Cell are paid a marginal fees. In fact, the *per capita* spending by the Government on legal aid is one of the lowest in the world at just 75 paise. This is extremely concerning, and I would urge the Government to make the system more equitable for all of us.

As policy-makers, it is our responsibility to ensure that all the 'wheels of justice' turn smoothly and fairly. Thank you, Sir.

(ends)

1739 बजे

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): महोदय, आपने मुझे द एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मंत्री जी, सदन में यह बिल लाए हैं। It is a very small change. मंत्री महोदय इस सदन में बिल लाए हैं। Every single Member of the House has supported this Bill. सर, बहुत साधारण सा यह बिल है और यह चेंजेज बहुत सालों से अपेक्षित था। एडवोकेट्स जो अपने जिलों में काम करते हैं, वे हमसे बात करते हैं और उनसे हमारी डिस्कशन होती है। मेरे क्षेत्र में एक ट्राइबल क्षेत्र पड़ता है। मेलघाट से जब एक-आध किसान आता है या एक्सीडेंटल केस होता है या फॉरेस्ट के साथ फार्मर्स की लैंड से संबंधित कोई केस होता है या आपसी फैमिली की प्रॉब्लम्स में वह किसान प्लेन पट्टे पर आकर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद, चूंकि वह इतना अनएजुकटेड है कि उसे हर चीज समझाना बहुत मुश्किल होता है।

(1740/VB/UB)

तब उनके ट्रैपिंग का मामला आता है, उसमें कोर्ट के गेट पर पहुंचते ही उसे ट्रैप कर लेते हैं। किसान के जो लैंड के केसेज होते हैं, जो एक्सीडेंटल केसेज होते हैं, तीसरी पीढ़ी आने तक वे सॉल्व नहीं होते हैं। उसके केस का निर्णय जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन इसके कारण उनके पास जो एकाध एकड़ जमीन रहती है, उसे भी बेचने की बारी आ जाती है। तब तक उसका कोई निर्णय नहीं लगता है और उसको तारीख पर तारीख दिलाने वाला जो मेडिएटर या दलाल गेट पर बैठा रहता है, वह उनको जाते ही ट्रैप कर लेता है। उसे हटाने का जो यह बिल लाया गया है, वह द बेस्ट है। जब एक नया एडवोकेट कोर्ट में आता है, तो उसे सोशल सम्पर्क बनाने में दो-ढाई साल का समय लग जाता है। एडवोकेट्स को जितने पैसे जाते हैं, उससे भी ज्यादा बिचौलिया उनसे ले लेते हैं। इसमें गरीब, आदिवासी परिवार के लोग जो अपना केस लेकर जाते हैं, किसान के जो पानधान रास्ते होते हैं, मराठी में पानधान कहते हैं, मुझे लगता है कि उसे पगड़ी रास्ता भी कहते हैं। उस रास्ते पर जो वाद होते हैं, वे सालों तक चलते हैं। इसमें किसान की खेती बिक जाती है, लेकिन बिचौलिया निर्णय नहीं लगने देता है। इसे हटाकर डायरेक्टली, जिसकी गरीब वर्ग को ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे किसानों को, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। सर, एक और प्रॉब्लम देखी गई है। जब हमने सभी एडवोकेट्स से

बात की and asked as to what the problems were that they find when these poor and needy people come to them. They said that they cannot help them in any which way. I asked them why they cannot help them. तो उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी मंशा भी रहती है, यदि कोई गरीब महिला अपनी फैमिली का कोई इश्यू लेकर कोर्ट में आती है या एक्सीडेंट में किसी का हसबैंड गुजर जाता है, तो उनको इश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए। उसके लिए यदि डायरेक्ट मदद करनी है, लेकिन बिचौलिया पहले ही आकर बोल देता है कि एडवोकेट साहब इनकी मदद नहीं करनी है। आप जो अपने पैसे चार्ज करते हैं, आप उससे बढ़ाकर चार्ज करना। उदाहरण के लिए, यदि उसमें 50 रुपए मेरे हैं, तो आपको डेढ़ सौ रुपए चार्ज करने हैं। उससे कम चार्ज नहीं करना है। So, the advocate also becomes helpless. पीड़ित परिवार के साथ बिचौलिया इतना फैमिलियर हो जाता है कि अगर एक्सीडेंट में हसबैंड गुजर जाता है या कोई डिवोर्स का केस चलता है, तो वह इतना फैमिलियर हो जाता है कि जब फीमेल पर्सन के पास देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो वह बिचौलिया उसका मिसयूज करता है। इसलिए यह अमेंडमेंट लाकर, मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों, किसानों और जरूरतमंद लोगों की, जिनके केसेज कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी मदद होगी। ऐसे बिचौलियों के कारण डायरेक्टली गरीब लोगों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए इस बिल को लाकर मंत्री महोदय ऐसे लोगों को डायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। We support this Bill.

(ends)

1743 बजे

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। आज जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, लगभग हम सभी इससे सहमत हैं, तो एक समसामयिक चार लाइनों का कोरस मेरे ध्यान में आता है, जिसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा।

हो गये हैं सब स्वप्न साकार, कैसे मान लें हम,
 टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम,
 वेश-वाणी, तत्व-दर्शन दूसरों का यह सभी ले,
 विकृतियों को ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले,
 दूसरों की यह नकल है, अस्मिता क्या मान लें हम,
 इस पराए तंत्र को निज तंत्र कैसे मान लें हम,
 देश के भवितव्य को ही अब चुनौती मान लें हम,
 हो गये हैं सब स्वप्न साकार, कैसे मान लें हम।

जितने भी संशोधन, परिवर्तन आदि होते हैं और आज भी जो संशोधन लाया गया है, इस देश में ऐसे कानून, जिसमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, इस काम का बीड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और हमारे सम्माननीय विधि मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल जी ने उठाया है।

यह विधेयक, जो कानून व्यवसायी अधिनियम, 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। 1961 का अधिनियम कानून को समेकित करता है। कानूनी व्यवसायियों से संबंधित यह विधेयक बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार का गठन करता है।

(1745/PC/SRG)

विधेयक की मुख्य विशेषताओं में यह शामिल है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी, जिसमें यह कहा गया है कि जिला कलेक्टर पद से नीचे नहीं है, ऐसे दलालों की सूची बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं।

महोदय, ये जो दलाल हैं, एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो या तो किसी को भुगतान के बदले कानूनी व्यवस्था में कानूनी और व्यवसाय के रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है।

महोदय, नागरिक या आपराधिक अदालतों के परिसर जैसे स्थान पर, जैसे राजस्व कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशनों और ऐसी जगहों में रोजगार प्राप्त करने, न्यायालयों में न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है, जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है।

महोदय, सूचियां तैयार करना, दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधिनस्थ अदालतों को कथित या दलाल होने के संदेह वाले व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति दलाल साबित हो जाता है, तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को शामिल किए जाने के विरुद्ध और बताने का अवसर प्राप्त किए बिना यानी लांछन से बचाने के लिए ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा।

महोदय, इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है, जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे तीन महीने की कैद और 500 रुपए के जुर्माने तक का जो यह प्रावधान है, दंडित करने का जो प्रावधान है, यह वास्तव में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही सोच-समझकर किया गया प्रावधान है। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, पारदर्शी न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, न्याय मिलने के साथ-साथ न्याय मिलते हुए प्रतीत भी होना चाहिए। पवित्रता, सुचिता आवश्यक है। इसके लिए यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1748 बजे

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : चेयरमैन सर, आपने आज यह चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी थी। यह बिल The Advocates (Amendment) Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha है। यह एडवोकेट एक्ट, 1961 है। आपने ठीक कहा, वही बिल है। 3 अगस्त, 2023 को राज्य सभा ने इसको पास किया था। आज यह हाउस – लोक सभा इस बिल पर चर्चा भी कर रहा है और मुझे लगता है कि सर्व-सम्मति से यह बिल पास भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।

सभापति महोदय, इस चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया, करीब 21 लोगों ने भाग लिया। श्री कार्ती पी. चिदम्बरम जी से शुरू किया और अभी लास्ट में श्री संतोष पान्डेय जी ने इसमें भाग लिया। आपने भी इस चर्चा में भाग लिया। मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। विषय बहुत छोटा सा था, लेकिन इसमें चर्चा करीब-करीब तीन घंटे से ज्यादा की हो गई।

चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का ही जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आपने बहुत टैक्निकल सब्जेक्ट उठाया था। यह 1879 का एक्ट है, यह कोलोनियल एक्ट है और रिपील होना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने यह तय किया है कि जो कोलोनियल लॉ है, जिसकी यूटिलिटी नहीं है, जिसका श्री भर्तृहरि महताब साहब जिक्र कर रहे थे, वे समाप्त होने चाहिए। देश में भी इसका स्वागत हुआ ... (व्यवधान) अब तक ऐसे 1,486 लॉज समाप्त हो चुके हैं। ... (व्यवधान) अभी कुछ और लॉज भी पाइपलाइन में हैं, उनको फिर एक साथ लेकर आएंगे।

आपका क्वेश्चन था कि क्या सेक्शन 36 आप 1961 में इनकॉरपोरेट कर रहे हो? क्या आप चाहते थे कि 1879 का लॉ एज़-इट-इज़ रहे?

(1750/CS/RCP)

हम उसे रिपील कर रहे हैं, लेकिन 1936 का जो यह टाउट वाला सब्जेक्ट है, यह कमेटी को भी ठीक लगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी ठीक लगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, क्योंकि वकील की ड्रेस में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जो वकील नहीं हैं, उनकी डिग्रियाँ भी फर्जी हैं। वे आकर किसी को ठगते हैं तो उसका क्या प्रावधान हो? यह ऑलरेडी 1879 में प्रावधान था, इसको उठाकर हम 1961 में लाए हैं, छोटा सा अमेंडमेंट था, 45(ए) हमने इन्सर्ट किया। इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है। जो कालोनियल लॉ हैं, जिनकी यूटिलिटी नहीं है, उन्हें हम समाप्त करेंगे। 1961 तो हमने, इसी सदन ने पास किया। जो आप कह रहे थे कि टाउट सब्स्टिटूशन है, 1961 में उस समय की सरकारों ने यह सोचा नहीं कि पुराने जो कालोनियल लॉ हैं, उन्हें भी समाप्त करना है। मैं यूपीए के 10 साल का आपको विवरण दूँगा। हमने अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद 1,486 कानून समाप्त कर दिए हैं। मनमोहन सिंह जी के समय 10 साल आप भी थे, एक भी ऐसा कालोनियल लॉ उन्होंने रद्द नहीं किया। इसका मतलब है कि उनकी सोच ही नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पंच प्रण, जिसका जगदम्बिका पाल साहब जिक्र कर रहे थे, विकसित भारत मानव केन्द्रित, हमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विरासत पर गर्व, यह दूसरा प्रण है। तीसरा प्रण है कि गुलामी के हर चिन्ह से मुक्ति और वही मुक्ति लेने का काम हम लोग कर रहे हैं। एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन, ये कुछ विषय पंच प्राण के थे, जिनका मैंने जिक्र किया है। इसमें और बहुत से विषय आए हैं, उनका मैं थोड़ा-थोड़ा जिक्र करूँगा। अभी ए. राजा साहब उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए।

ठीक है कि यहां प्रिविलेज है, लेकिन करप्शन तो समाज की प्रॉब्लम है। अगर कोई आदमी एग्जीक्यूटिव में है, कोई आदमी जुडीशियरी में है, कोई आदमी प्रेस में है, कोई आदमी लेजिस्लेटिव विंग में है, अगर वह करप्ट है तो वह समाज की प्राब्लम है, उसको दूर करना चाहिए। यह बात ठीक है, लेकिन आप किसी को इंडीकेट करो। उन्होंने कहा कि विजन और ऑब्जेक्ट हमें मिले ही नहीं हैं। यह बिल में ही लगे हुए हैं। उन्होंने या तो इसे पूरा देखा नहीं है। वे पूरे जुडीशियल सिस्टम को ही गड़बड़ बता गये। कल्याण बनर्जी साहब यहां बैठे हैं। इनसे टेलीफोन पर भी मेरी कुछ बात हुई थी। ट्रांसफर ऑफ जजेज़ पर उन्होंने कहा कि इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। कांस्टीट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ जजेज़, आप सबको पता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज़ 1993 के बाद कॉलेजियम के पास है। ट्रांसफर ऑफ जजेज़ का अभी कॉलेजियम से सिस्टम आता है। आपने कहा कि पिक एंड चूजा कॉलेजियम के सिस्टम पर हम कभी भी बहस कर सकते हैं, इसी हाउस को बहस करनी चाहिए। हम तो नेशनल जुडीशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए थे। आप भी उस पर बहुत अच्छा बोले थे, लेकिन जुडीशियल रिव्यू की पॉवर सुप्रीम कोर्ट को है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि ट्रांसफर ऑफ जजेज़ में एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। हम इसको स्वीकार करते हैं। आपकी बात को, जुडीशियरी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके अगर कोई पॉलिसी बनती है तो हम आगे इसमें काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

भर्तृहरि महताब साहब ने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जिनकी यूटीलिटी नहीं है, वे एकट समाप्त हो रहे हैं। 1879 के इस एक्ट की भी यूटीलिटी नहीं थी। टाउट के संबंध में सबने कहा कि अगर कोई ठगी करेगा तो उसका क्या इलाज है, इसलिए हमने इसको इनकोरपोरेट किया है। बाकी अधिकतर बिंदु जो आए हैं, वेलफेयर ऑफ दी एडवोकेट का विषय आया, इंश्योरेंस, लायर्स के चैंबर्स, सिक्योरिटी, ये सारे विषय आये हैं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे कोई वर्ग हो, कोई प्रोफेशनल सैक्शन हो, सबका साथ, सबका विकास, यह हमारा मूल मंत्र है तो वकील कैसे पीछे छूट जाएंगे। वकील भी पीछे नहीं छूटेंगे। इंश्योरेंस का विषय मैं खुद डील कर रहा हूँ। मैंने राज्य सभा में भी कहा है और अभी संविधान दिवस के अवसर पर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन में गया था, वहां भी मैं कहकर आया हूँ कि इंश्योरेंस में अगर आपको कंट्रीब्यूशन देने में कोई दिक्कत है तो आप प्रपोजल लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग जल्दी प्रपोजल लेकर आएंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में या मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स में जहां भी जरूरत होगी, भारत सरकार पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं करेगी, जो प्रपोजल विजिबल होगा।

(1755/IND/PS)

महोदय, हमारे वकील भी इतने ही प्रोफेशनल हैं जितने कि डॉक्टर्स हैं। उनके लिए सिक्योरिटी का कोई विषय आया, तो इनके लिए भी हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। एक विषय यह आया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है। यह बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि दस-बारह साल पहले जब आप कोर्ट परिसर में जाते थे, तो आप किसी न किसी से पूछते थे कि मेरी पेशी कब है। आज वहां टच मशीन लगी हुई है। आप अपना नम्बर डायल करें, उसमें नाम लिखें तो पता चल जाएगा कि इस कोर्ट नम्बर में आपकी पेशी है। यह मोदी जी की सरकार है, क्या यह बात आपको समझ नहीं आई? मोदी जी की सरकार में ईज ऑफ लीविंग हमारी प्रायोरिटी है। मुझे सदन को बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि हमारी एक स्कीम ई-कोर्ट चल रही है। इसके लिए 7280 करोड़ रुपये नरेन्द्र मोदी जी ने सैक्शन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनी हुई है और जहां-जहां भी विडियो कांफ्रेंसिंग की जरूरत है, जैसे किसी ने कहा कि बैंच नहीं हैं।

मलूक नागर साहब चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ में बैच नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट और हम लोग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हम दावा पेश करने का, बेल ग्रांट करने की क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। यह बहुत अच्छा कदम है कि अगर किसी वजह से बैच नहीं बनी, क्योंकि बैच बनाने के लिए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए। कई बार कंसेंट नहीं मिलती है लेकिन हम वीसी के माध्यम से हाई कोर्ट की सुविधा जैसी यदि सुविधा उपलब्ध करा दें तो उसमें दिक्कत क्या है? इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

मैंने राज्य सभा में कहा था कि वकील कई तरह के होते हैं। हम यह जो एक्ट लेकर आए हैं, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। महर्षि अरविंद बहुत बड़े संत हुए। इन्होंने डिवाइन लाइफ तथा कई अन्य पुस्तकें लिखीं। अलीपुर बम केस में वे आरोपी थे। किसी ने कहा कि इन्हें सजा होगी और फांसी होगी। एक अखबार में छपा कि शायद मजिस्ट्रेट इन्हें फांसी की सजा देने वाले हैं। श्री चितरंजन दास, जो इनके वकील नहीं थे लेकिन एक प्रसिद्ध वकील थे, जिसका जिक्र जगदम्बिका पाल जी ने भी किया। चितरंजन दास जी अखबार में यह खबर पढ़ कर कोर्ट में पेश हो गए। जज साहब ने पूछा कि क्या आप इनके वकील हैं? उन्होंने कहा कि मैं इनका वकील नहीं हूँ लेकिन क्या मैं इनके लिए बहस नहीं कर सकता हूँ। जज ने अरविंद घोष जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई वकील नहीं किया है लेकिन फिर भी चितरंजन दास जी ने कहा कि मैं बहस करूंगा। चितरंजन दास जी ने एक बात कही कि जज साहब आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन जो अरविंद घोष का थॉट है, वह हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने दो घंटे से ज्यादा बहस की और कोई फीस नहीं ली। हमारे यहां ऐसे भी तो वकील हुए हैं। उस बहस के बाद महर्षि अरविंद को जज ने छोड़ दिया, इक्विटल हुआ। इसके बाद उन्होंने पांडेचैरी में जाकर कितना बड़ा काम किया। ऐसे भी तो वकील हुए हैं।

सभापति जी, कुछ अच्छे सुझाव आए हैं और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने एक बड़ा काम संविधान दिवस के अवसर पर किया, जिसका जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी और उस अवसर पर लगी जब बाबा साहब को वकील के रूप में सौ साल पूरे हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट का इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मुख्य लॉन के परिसर में यह मूर्ति लगी है और जो बाबा साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, जिनके मुकदमे फ्री भी लड़ने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा लग गई है, तो वह भी हमें दिशा दिखाएगी और सही दिशा में देश चल रहा है। यह जो छोटा-सा अमेंडमेंट है, जैसा मैंने कहा कि **Advocates (Amendment) Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha**, इसे आप सर्वसम्मति से पास करें, ऐसी मैं आपसे विनती करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

(इति)

(1800/SMN/RV)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): It is already 6 o'clock. If the House agrees, we will extend the sitting till this Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Now, the Bill will be taken up for consideration and passing.

प्रश्न यह है:

“कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

HON. CHAIRPERSON: Amendment Nos. 3, 6 and 8 to 10 to clause 2, Prof. Sougata Ray ji – not present.

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:
“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

1802 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023 / 14 अग्रहायण, 1945 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।